संख्या: 51 /2023/1688ई-2/तेरह-2023-01/2020-1769561

प्रेषक,

दिव्य प्रकाश गिरि
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 21 दिसम्बर, 2023

विषय:- आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11026/दस-लाईसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2024-25, दिनांक 06-12-2023 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्वहित एवं जनहित के दृष्टिगत वर्ष 2024-25 हेतु आबकारी नीति इस शासनादेश के प्रस्तर-3 के अनुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति का उद्देश्य एवं प्रयोजन:-

मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त प्रत्येक वर्ष के लिये शासन द्वारा प्रदेश की आबकारी नीति जारी की जाती है। आबकारी नीति का उद्देश्य भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या:8 एवं 51 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद-47 के अन्तर्गत दिये गये निदेशक तत्वों के दृष्टिगत मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुये प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करना है। उक्त के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण मदिरा उपलब्ध कराये जाने, निवेश को प्रोत्साहन देने, राज्य को आत्मनिर्भर उत्पादक राज्य बनाने, कृषि उत्पादों को नष्ट होने से बचाते हुये किसानों की आय में वृद्धि करने और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने आदि उद्देश्य भी सम्मिलित हैं। इनमें आबकारी विभाग की भूमिका नियामक एवं विकासकर्ता के रुप में अपेक्षित होती है। उक्त भूमिका के सम्यक निर्वहन के संदर्भ में आनुषंगिक रुप से निम्नांकित बिन्दु भी आबकारी नीति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से सहबद्ध होते हैं:-

(क) कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा गन्ना उत्पादकों को उचित गन्ना मूल्य का भुगतान:-

गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 में प्रदेश में लगभग 29.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन अनुमानित है। प्रदेश के गन्ना किसानों को उनके उत्पाद पर सही मूल्य मिले इसके लिये वैल्यू चेन के प्रत्येक अंश की उत्पादकता बढ़ाया जाना एवं उसके मूल्य संवर्धन हेतु प्रयास किया जाना आवश्यक है। आबकारी विभाग का प्रयास यह है कि चीनी निर्माण की प्रक्रिया में सह-उत्पाद

के रुप में प्राप्त शीरे का सदुपयोग हो तथा इससे उत्पादित अल्कोहल का उपयोग विभिन्न प्रकार के रसायनों, एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, सैनिटाइज़र एवं मदिरा निर्माण के लिये हो सके, जिससे प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिले और इन उत्पादों की उत्पादकता में वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र का विकास हो तथा उससे जुड़े किसानों को समुचित मूल्य प्राप्त हो सके।

(ख) चीनी व अल्कोहल उत्पादक इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं नवीनतम तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि जिससे औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिल सके:-

वैल्यू चेन के अन्तर्गत कृषि उत्पादों की क्षति रोकने, उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं को समुचित गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है। गन्ना वर्ष 2023-24 में गन्ना उत्पादन 2493 लाख टन अनुमानित है तथा फसल के आधार पर प्रदेश में लगभग 1140 लाख टन गन्ने की पेराई का अनुमान है। चीनी मिलों द्वारा गन्ने से चीनी, बगास, शीरा, प्रेसमड आदि उत्पादित किया जाता है। प्रदेश की चीनी मिलों में सह-उत्पाद के रुप में उत्पादित शीरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण प्रदेश में अल्कोहल उद्योग के विकास की प्रबल संभावनायें विद्यमान हैं। वर्तमान समय में एथनाल उत्पादन एक अच्छा विकल्प है। पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से भी शीरे की क्षति अथवा इसकी गुणवत्ता में ह्रास को रोकते हुये इसका शीघ्रातिशीघ्र उपयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। चीनी व अल्कोहल उद्योगों के आधुनिकीकरण व नवीनतम तकनीक की सहायता से उत्पादकता में वृद्धि करते हुये औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(ग) एथनॉल के उत्पादन से भारत सरकार की विदेशी मुद्रा की बचत.-

भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार ईंधन में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोल में 10 प्रतिशत की सीमा तक एथनॉल को मिश्रित किया जाना अनुमन्य किया गया है। इससे पेट्रोल के आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की आंशिक बचत होती है। इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश में उत्पादित एथनॉल से प्रदेश में स्थित पेट्रोलियम डिपोज़ को एथनॉल की आपूर्ति के साथ-साथ अन्य प्रदेशों में स्थित पेट्रोलियम डिपोज में मिश्रित किये जाने हेतु एथनॉल का निर्यात किया जाता है। इस क्रम में विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 153.71 करोड बल्क लीटर एथनॉल का उत्पादन हुआ था, जिसमें से 71.95 करोड़ बल्क लीटर उत्तर प्रदेश के आयल डिपोज को आपूर्ति की गयी तथा 76.44 करोड़ बल्क लीटर का निर्यात अन्य राज्यों को किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह अक्टूबर, 2023 तक कुल 107.51 करोड बल्क लीटर एथनॉल का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 46.80 करोड़ बल्क लीटर उत्तर प्रदेश के आयल डिपोज़ को आपूर्ति की गयी तथा 60.13 करोड़ बल्क लीटर का निर्यात अन्य राज्यों को किया गया है। केन्द्र सरकार के एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल(ई.बी.पी.) प्रोग्राम को सफल बनाने हेतु एथनॉल का उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा पावर अल्कोहल(एथनॉल) की उठान, निकासी की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इसके लिये उठान हेतु आनलाइन व्यवस्था क्रियान्वित की गयी है।

(घ) मदिरा उद्योग व्यवसाय से हितबद्ध अनुज्ञापियों द्वारा किये गये पूँजी निवेश पर समुचित लाभार्जन एवं उपभोक्ता संतुष्टि:-

मदिरा उद्योग के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने हेतु आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार करने, मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने तथा व्यवसाय से जुड़े अनुज्ञापियों को उनके द्वारा किये गये पूँजी-निवेश पर यथोचित लाभ प्रदान करने की दिशा में विभाग का प्रयास है कि वैल्यू चेन में प्रत्येक स्तर पर उत्पादकता बढ़े तथा उपभोक्ताओं को उनकी पसन्द के अनुसार मदिरा आपूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्राप्त हो। विभाग का उद्देश्य यह भी है कि मदिरापान को जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में रखा जाय। अल्कोहल वर्ष 2022-23 में माह अक्टूबर, 2023 तक गत वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष अल्कोहल के उत्पादन में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

(ड.) प्रक्रियाओं का सरलीकरण:-

विभाग का यह प्रयास है कि वैल्यू चेन में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने, विदेशी एवं देशी निवेश को आकर्षित करने, सेवाओं को सुगम बनाने, अनुज्ञापनों के आवंटन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता रखने, मदिरा उद्योग, व्यवसाय से हितबद्ध अनुज्ञापियों पर नियंत्रण रखने, उपभोक्ताओं को उनकी रुचियों के अनुसार जानकारी प्रदान करने तथा जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में मदिरा सेवन करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाये। इससे एक ओर जहाँ प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा वहीं दूसरी ओर समस्त स्टेक होल्डर्स को प्रत्येक स्तर की जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलभ हो सकेगी। इससे ईज आफ डूइंग बिजनेस एवं गुड गवर्नेन्स को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ावा दिया गया है तथा ट्रैक ऐण्ड ट्रेस प्रणाली का उपयोग कर मदिरा के संचरण पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2024-25 में इसमें और सुधार किया जाना प्रस्तावित है तथा विभाग की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।

3. वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति:-

3.1 <u>देशी मदिरा</u>

3.1.1 (क) देशी मदिरा की श्रेणियां:-

वर्ष 2023-24 में देशी मदिरा की तीव्रता एवं प्रकार के आधार पर प्रचलित श्रेणियों के स्थान पर वर्ष 2024-25 में देशी मदिरा की निम्नांकित श्रेणियां रखी जायेंगी:-

(1) शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित 36 प्रतिशत वी/वी (मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की कॉच, पेट की बोतलों तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

(2) शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित 25 प्रतिशत वी./वी. (सुवासित) 200 एम.एल. की धारिता की कॉच, पेट की बोतलों तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

पेट बोतलों के लिये मिनरल वाटर की बोतलों में प्रयुक्त होने वाले कैप्स के समान अच्छी गुणवत्ता के प्लास्टिक कैप्स भी अनुमन्य होंगे। देशी मदिरा की बोतलों पर लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के कैप्स पर श्रिंक कैप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) यू.पी.एम.एल. की श्रेणियां

प्रदेश में आरक्षित शीरे की उपलब्धता की भविष्यगत संभावनाओं के परिदृश्य के आलोक में यू.पी.एम.एल. जिसकी बिक्री देशी मदिरा दुकानों से ही अनुमन्य होगी और जिसमें

सन्निहित प्रतिफल शुल्क का समायोजन लाइसेंस फीस में किया जायेगा, की निम्नांकित श्रेणियां वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित की जाती हैं:-

(1) ग्रेन ई.एन.ए. आधारित 42.8 प्रतिशत वी./वी. (मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की कॉच की बोतलों तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

(2) ग्रेन ई.एन.ए. आधारित 36 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)200 एम.एल. की धारिता की कॉच की बोतलों तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

(ग) देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की उपर्युक्त श्रेणियों के लिये बोतलों अथवा एसेप्टिक ब्रिक पैक के कैप्स/लेबिलों और इनके बार्डर के रंग अथवा रंग संयोजन आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। कैप्स/लेबिलों और इनके बार्डर के रंग अथवा रंग संयोजन में परिवर्तन का अधिकार आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधायित किया जाता है।

3.1.2 देशी मदिरा दुकानों के वार्षिक एम.जी.क्यू. (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/Minimum Guaranteed Quantity) का निर्धारण:-

(i) वर्ष 2024-25 हेतु वर्ष 2023-24 के व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. पर 10% प्रतिशत की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा। वर्ष 2023-24 हेतु व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. 63.98 करोड बल्क लीटर पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर वर्ष 2024-25 हेतु प्रदेश का प्रस्तावित न्यूनतम एम.जी.क्यू. 70.38 करोड़ बल्क लीटर 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में आगणित होता है।

(ii) उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम.जी.क्यू. के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक, जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ा कर वर्ष 2024-25 हेतु अंतिमीकृत एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा।

(iii) नवसृजित देशी मदिरा दुकानों (प्रस्तर-3.11.1 (ग) के प्रकरणों को छोडकर) का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-3.9 2.1 में प्राविधानित न्यूनतम एम.जी.क्यू. से कम नहीं होगा तथा इस संबंध में प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा ताकि किसी अन्य दुकान का क्षेत्राधिकार प्रभावित न हो एवं निर्धारित एम.जी.क्यू. युक्तिसंगत हो। यह एम.जी.क्यू.36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में होगा। जिले में नवसृजित दुकानों का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-3.1.2(i) एवं 3.1.2(ii) द्वारा निर्धारित एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त होगा।

3.1.3 देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2024-25 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

1. देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर रु.32/- प्रति बल्क लीटर वार्षिक एम.जी.क्यू. के आधार पर निर्धारित की जाती है जो किसी दुकान के लिये रुपया 1000/- के गुणक मे न आगणित होने पर अगले रूपया 1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।

2. मासिक एम.जी.क्यू. से अधिक देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल के अतिरिक्त उठान पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस न लिये जाने की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

3. नवसृजित देशी मदिरा दुकानों एवं मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों अथवा ई-टेण्डर से व्यवस्थित होने वाली दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस भी रु. 32/- प्रति ब.ली. वार्षिक एम.जी.क्यू. के आधार पर अगले रूपया 1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।

4. मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों के संबंध में देय बेसिक लाइसेंस फीस वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि के आधार पर समानुपातिक रूप से आगणित की जायेगी और अगले रूपया 1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।

3.1.4 वर्ष 2023-24 में देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. के मूल्य निर्धारण हेतु प्रत्येक श्रेणी में सादा, सुवासित और मसाला की ई.डी.पी. का रेन्ज निर्धारित किया गया था और प्रत्येक रेन्ज के लिये प्रतिफल शुल्क का निर्धारण भी पृथक-पृथक किया गया था। साथ ही आगणित एम.आर.पी. को रु.2.00/- के अगले गुणक में राउण्ड आफ कर अंतिमीकृत एम.आर.पी. निर्धारित की गयी थी। सुवासित श्रेणी, 36 प्रतिशत (सादा), यू.पी.एम.एल. (सादा) और इसके 100 एम.एल. की बिक्री लगभग शून्य रही है। 25 प्रतिशत वी/वी (सादा) की बिक्री कम कैरामल मिलाकर मसाला के रूप में हुयी है, जिसके लिये आसवकों द्वारा तकनीकी कारण प्रस्तुत किये गये हैं। विभिन्न प्रकार के मूल्य निर्धारण के कारण प्रदेश में ओवर रेटिंग की कई घटनायें प्रकाश में आयी हैं।

उक्त स्थिति पर सम्यक विचारोपरांत देशी मदिरा की 25 प्रतिशत वी/वी. में सुवासित श्रेणी, 36 प्रतिशत वी/वी में मसाला श्रेणी रखते हुये देशी मदिरा 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में प्रतिफल शुल्क का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्य श्रेणियों पर प्रतिफल शुल्क 36 प्रतिशत वी/वी के समानुपातिक रूप से अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही वर्ष 2024-25 में देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. के प्रत्येक श्रेणी की ई.डी.पी. का निर्धारण किया गया है। यू.पी.एम.एल. की बिक्री कांच की बोतलों में मूल्य अधिक निर्धारित होने के कारण अत्यंत कम हुयी है अत: इसके मूल्य में कमी करते हुये इसकी आपूर्ति एसेप्टिक ब्रिक पैक में भी अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। 25 प्रतिशत वी/वी में मसाला एवं सादा श्रेणी समाप्त की गयी है।

(क) वर्ष 2024-25 हेतु 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. के संदर्भ में प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर रु. 254/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

(ख) 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. के अतिरिक्त अन्य तीव्रताओं की देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. हेतु प्रतिफल फीस की दर समानुपातिक रूप से निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. की श्रेणी, तीव्रता	वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर (रु. प्रति बल्क लीटर)

1.	यू.पी. मेड लिकर(यू.पी.एम.एल.) (मसाला) 42.8 प्रतिशत वी./वी.	302.00
2.	यू.पी. मेड लिकर(यू.पी.एम.एल.) (मसाला) 36 प्रतिशत वी./वी.	254.00
3.	शीरा अधारित ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा (मसाला) 36 प्रतिशत वी./वी.	254.00
4.	शीरा अधारित ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा (सुवासित) 25 प्रतिशत वी./वी.	176 40

देशी मदिरा दुकान की मासिक लाइसेंस फीस जो मासिक एम.जी.क्यू. में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम.जी.क्यू. की निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान या समायोजन में विफल रहने पर संगत नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम.जी.क्यू. का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम.जी.क्यू. के समतुल्य 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. की बोतलों की कुल संख्या की निकासी में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क व कुल अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अन्य तीव्रताओं में उठान को 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता में परिवर्तित कर कुल उठान का आगणन किया जायेगा।

3.1.5 लाइसेंस फीस की देयता:-

किसी माह में एम.जी.क्यू. से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क एवं अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं होगा।

3.1.6 देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. पर अतिरिक्त प्रतिफल फीस लिया जाना:-

वर्ष 2024-25 के लिये यू.पी.एम.एल. एवं देशी मदिरा की एम.आर.पी. रूपया 5/- के अगले गुणक में रखी जायेगी।आगणित एम.आर.पी. और रूपया 5/- के अगले गुणक में निर्धारित एम.आर.पी. के अंतर को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में वसूला जायेगा।

3.1.7 देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. का मूल्य निर्धारण:-

(1) देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की समस्त श्रेणियों का अधिकतम फुटकर मूल्य **संलग्नक-1** के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(2) देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की किसी श्रेणी की ई.डी.पी. मे उत्पादक/आसवक द्वारा उत्पादन एवं आपूर्ति से संबंधित समस्त मदों की धनराशि (उत्पादन मूल्य, लाभ, परिवहन व्यय, बारकोड एवं क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन व्यय, ट्रैक एण्ड ट्रेस फीस, बाटलिंग फीस आदि) सम्मिलित होगी।

(3) देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की ई.डी.पी. में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगा। आई.ई.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 राजकोष में जमा करना होगा।

(4) प्रत्येक आसवक/उत्पादक को अपने ब्राण्ड के लेबिल पर श्रेणी यथा देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. और सुवासित अथवा मसाला लिखना अनिवार्य होगा।

3.1.8 थोक अनुज्ञापनों से प्राप्त इंडेन्ट के सापेक्ष देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति की समय सीमा एवं विलम्ब की दशा में जुर्माना के संबंध में वर्ष 2024-25 हेतु निम्नांकित प्राविधान लागू होंगे:-

"प्रत्येक देशी मदिरा उत्पादक आसवनी यह सुनिश्चित करेगी कि देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति इण्डेण्ट प्राप्ति से 03 दिन के भीतर हो जाय। विलम्ब की दशा में इण्डेण्ट में वांछित निकासी में सन्निहित राजस्व के 0.5 प्रतिशत की दर से आसवनी पर प्रतिदिन जुर्माना आरोपित होगा। यह जुर्माना सहायक आबकारी आयुक्त संबंधित आसवनी द्वारा आसवक से विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रत्येक सप्ताह आगणित किया जायेगा और विलम्ब पाये जाने पर आसवनी के अग्रिम खाते से समायोजित कर लिया जायेगा जिसे लाल स्याही से अंकित किया जायेगा।

यदि कॉच बोतलों, पेट बोतलों अथवा एसेप्टिक ब्रिक पैक की पृथक-पृथक प्रतिदिन की अधिकतम उत्पादन क्षमता से अधिक के इण्डेण्ट प्रस्तुत किये जाते हैं तब प्रतिदिन कॉच बोतलों, पेट बोतलों अथवा एसेप्टिक ब्रिक पैक की पृथक-पृथक उत्पादन क्षमता से अधिक के प्रस्तुत इण्डेण्टों के सापेक्ष आपूर्ति में विलम्ब का आगणन नहीं किया जायेगा। विलम्ब के आगणन में इण्डेण्टों के वरीयता क्रम का संज्ञान अवश्य लिया जायेगा।

3.1.9 देशी मदिरा फुटकर दुकानों द्वारा किसी एक आसवनी के समस्त ब्राण्डों की मदिरा की निकासी अपने एम.जी.क्यू. के 85 प्रतिशत तक ही ली जायेगी। उपरोक्तानुसार एम.जी.क्यू. के उठान के उपरांत अधिक ली गयी निकासी पर यह प्राविधान लागू नहीं होगा। इस प्राविधान का पालन न करने पर एम.जी.क्यू. तक की निकासी में अनियमित रूप से ली गयी निकासी पर रु. 10/- प्रति बल्क लीटर का अर्थ दण्ड आरोपित किया जायेगा। देशी मदिरा के प्रत्येक थोक अनुज्ञापन को भी उपरोक्त प्राविधान के अनुसार मांगपत्र प्रस्तुत होने पर आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा उचित आदेश पारित किया जायेगा।

3.1.10 देशी मदिरा की निर्यात, आयात पास फीस:-

वर्ष 2023-24 की भाँति वर्ष 2024-25 में देशी मदिरा की निर्यात पास फीस रु.10/- प्रति ए.एल. तथा आयात फीस रु.1/- प्रति ए.एल. यथावत रखी जाती है।

3.1.11 आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति:-

देशी मदिरा की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर से आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु वर्ष 2019-20 में प्राविधानित व्यवस्था, वर्ष 2024-25 में यथावत रखी जाती है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत बी.डब्लू.सी.एल - 1 अनुज्ञापनों की स्वीकृति आबकारी आयुक्त के स्तर से प्रदान की जायेगी।

3.2 विदेशी मदिरा

3.2.1 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस:-

विदेशी मदिरा दुकानों की वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2023-24 की वार्षिक लाइसैंस फीस पर 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाती है। इस प्रकार प्राप्त लाइसैंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा।

3.2.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण:-

वर्ष 2024-25 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

भारत निर्मित विदेशी मदिरा

क्र. सं.	ई.डी.पी. की श्रेणी प्रति बोतल (750 एम.एल.) (E) (रु.)	श्रेणी का नाम	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 एम.एल.) (D) (रु.)	थोक विक्रेता का मार्जिन (WM) (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM) (रु.)	एम.आर.पी. का सूत्र (MRP) (रु.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	0 से 70 तक	इकोनोमी	रु 242+ई.डी.पी. का 75%	रु 3.75+ई.डी.पी. का 3.00%	रु.60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2+4+5+6 का योग
2.	70 से अधिक, 125 तक	मीडियम	रु 264+ई.डी.पी. का 82%	रु 4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	रु 60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2+4+5+6 का योग
3.	125 से अधिक 250 तक	रेगुलर	रु 272+ई.डी.पी. का 83%	रु 4.00+ई.डी.पी. का 2.60%	रु.75+ई.डी.पी. का 10%	कालम 2+4+5+6 का योग
4.	250 से अधिक, 400 तक	प्रीमियम	रु.279+ई.डी.पी. का 85%	रु 4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु 75+ई.डी.पी. का 10%	कालम 2+4+5+6 का योग
5.	400 से अधिक, 600 तक	सुपर प्रीमियम	रु 294+ई.डी.पी. का 90%	रु 4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु 85+ई.डी.पी. का 7.5%	कालम 2+4+5+6 का योग
6.	600 से अधिक	स्कॉच	रु 304+ई.डी.पी. का 95%	रु 4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु 85+ई.डी.पी. का 7.5%	कालम 2+4+5+6 का योग

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2024-25 हेतु निम्न व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती हैं:-

1. वर्ष 2024-25 हेतु कांच और पेट बोतलों एवं एसेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रापैक) में भारत निर्मित विदेशी मदिरा अनुमन्य होगी।

2. विदेशी मदिरा ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आसवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.डी.पी. कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके समानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.डी.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई.डी.पी. वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई.डी.पी. एवं उसके द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तावित ई.डी.पी. का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत आसवनी/बाण्डधारक द्वारा अन्य समीपवर्ती राज्यों में उत्तर प्रदेश से कम ई.डी.पी. नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई.डी.पी. प्रस्तुत करते समय इसके समस्त कम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती

राज्यों में अनुमोदित एम.आर.पी. से संबंधित समस्त विवरणों(कास्ट कार्ड) की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी। ई.डी.पी. के अनुमोदन में निकटवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड के वास्तविक बिक्री मूल्य का संज्ञान भी लिया जायेगा ताकि प्रदेश के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

प्रतिबंध यह होगा कि किसी ब्राण्ड की ई.डी.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

विभिन्न प्रदेशों में ई.डी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. पर वैट/जी.एस.टी., परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.डी.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रूपया एक लाख तक का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

3. 180 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.डी.पी. के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.डी.पी. का निर्धारण किया जाएगा एवं ई.डी.पी. का आगणन निम्नानुसार होगाः-

EDP of SKU less than 180ML	EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)
EDP of SKU less than or equal to 375ML but greater than 180ML	EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)]-2
EDP of SKU greater than 375ML	EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)]-7

90 एम.एल.व 60 एम.एल.के एम.आर.पी. निर्धारण हेतु ई.डी.पी. का आगणन 180 एम.एल. की ई.डी.पी. के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाएगा।

4. ट्रैक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन हेतु ट्रैक ऐण्ड ट्रेस फीस रु.0.35 एवं निर्धारित स्पेशल फीस प्रत्येक धारिता की बोतल की ई.डी.पी. में सम्मिलित होंगी।

5. विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड ऑफ करते हुये, 10 के गुणांक के अगले स्तर पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा।

6. विदेशी मदिरा की ई.डी.पी. में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। आई.ई.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 मे से रु.0.09 राजकोष में जमा करना होगा।

7. उपर्युक्तानुसार आगणित एम.आर.पी. में नियमानुसार देय विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की राशि को जोड़कर अंतिमीकृत एम.आर.पी. निर्धारित की जायेगी।

3.2.3 भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ई.एन.ए. से निर्माणः-

विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई.एन.ए. से करने की व्यवस्था प्रभावी है, जिसे वर्ष 2024-25 में भी यथावत रखा जाता है। रम को छोड़कर अन्य प्रकार की भारत निर्मित विदेशी मदिरा में शीरा आधारित ई.एन.ए. का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

3.2.4 प्रतिरक्षा सेनाओं एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को विदेशी मदिरा की आपूर्ति:-

वर्ष 2024-25 में निम्न प्राविधान लागू होंगे:-

1. लाइसेंस फीस

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	लाइसेंस फीस की दर
1	एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए	1. विदेशी मदिरा-रू. 35.00/- प्रति बोतल (750 एम.एल.) 2. बीयर-रु 7.00/- प्रति कैन (500 एम.एल.), (अन्य धारिताओं के लिये लाइसेंस फीस समानुपातिक होगी) 3. एल.ए.बी.-रू. 5.00/- प्रति कैन/बोतल,
2	एफ.एल.-2ए	रु. 10,000/- प्रति वर्ष प्रति अनुज्ञापन

2. वर्ष 2023-24 में एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस का 60 प्रतिशत निर्धारित की जायेगी। बीयर, वाइन, एवं एल.ए.बी हेतु उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा।

3. एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत रियायती रम की आपूर्ति इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा की ई.डी.पी. रुपये 0 से 70 तक के अनुसार अनुमन्य होगी।

4. सेना के अधिकारियों को एफ.एल.-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. एवं वाइन की भी बिक्री अनुमन्य होगी।

5. केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को एफ.एल.-9ए अनुज्ञापन और एफ.एल.-9अनुज्ञापन भी अनुमन्य होंगे।

3.2.5 (क) एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा, बीयर की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन) की लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2024-25 हेतु रु.10,00,000/-(दस लाख मात्र) एवं प्रतिभूति धनराशि रु.100,000/-(एक लाख मात्र) प्रति अनुज्ञापन रखा जाता है। परन्तु ऐसे एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों, जिनका नवीनीकरण वर्ष 2024-25 अथवा अग्रेतर वर्षों के लिये पूर्व में ही हो चुका है, पर उक्त प्राविधान लागू नहीं किया जाएगा। नये एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों हेतु आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रु 100,000/- (एक लाख मात्र) होगी। नवीनीकरण फीस भी रु.100,000/- (एक लाख मात्र) होगी परन्तु नवीनीकरण की दशा में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(ख) एफ.एल.-3ए की लाइसेंस फीस/नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस (रुपये में)	एफ.एल.-3ए लाइसेंस की लाइसेंस फीस/ नवीनीकरण फीस (रुपये में)
1	एक करोड़ तक	4 लाख
2	एक करोड़ एक से दो करोड तक	8 लाख
3	दो करोड एक से तीन करोड़ तक	12 लाख
4	तीन करोड़ एक से चार करोड़ तक	16 लाख
5	चार करोड़ से अधिक	30 लाख

एफ.एल.-3 ए की फ्रैंचाइजी फीस विदेशी मदिरा के मामले में रु 4.00 प्रति लीटर निर्धारित किया जाता है। बीयर के मामले में फ्रैंचाइजी फीस रु.1.00 प्रति लीटर निर्धारित की जाती है।

3.2.6 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदामः-

(1) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का व्यवस्थापन:-

वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 की भाँति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के नये बंधित गोदामों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी(विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा।

(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का नवीनीकरण:-

वर्ष 2023-24 में स्वीकृत बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी अनुज्ञापनों का, संबंधित अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2024-25 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु वर्ष 2023-24 में निर्धारित की गयी व्यवस्था को वर्ष 2024-25 में यथावत रखा जाता है।

3.2.7 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति एवं अन्य व्यवस्थायें:-

(1) अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस वर्ष 2024-25 हेतु रूपया 1,00,000/- निर्धारित की जाती है।

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस वर्ष 2024-25 में रूपया 1,00,000/- ली जाएगी।

नवीनीकरण की स्थिति में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(3) वर्ष 2024-25 हेतु उपरोक्त अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	अनुज्ञापन का विवरण	वर्ष 2024-25 हेतु लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2024-25 हेतु प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	BWFL-2A	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	17.50	9.00
2.	BWFL-2B	अन्य राज्यों की इकाईयो में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	12.5	6.50

3.	BWFL-2C	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	3.0	1.5
4.	BWFL-2D	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	3.0	1.5

(4) **अन्य व्यवस्थायें:-**

(क) यदि प्रदेश के बाहर की कोई इकाई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाण्ड अनुज्ञापन लेना चाहे तो उसे विभिन्न जनपदों में अनुज्ञापन दिया जाएगा एवं इस निमित्त उससे प्रत्येक अनुज्ञापन हेतु निर्धारित प्रासेसिंग फीस अथवा नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस ली जाएगी।

बाण्ड अनुज्ञापनों से विक्रय किये जाने वाले ब्राण्ड्स, उनके लेबिलों एवं एम.आर.पी. का अनुमोदन उत्पादक, बाटलिंग इकाई द्वारा ब्राण्डवार कराया जायेगा।

(ख) गत वर्ष की भाँति मास्टर वेयरहाउस (Master Warehouse) पंजीकरण अनुमन्य होगा एवं वर्ष 2024-25 हेतु पंजीकरण फीस रु.2,00,000/-(दो लाख मात्र) प्रति वेयरहाउस रखी जाती है। गत वर्ष पंजीकृत मास्टर वेयर हाउस वर्ष 2024-25 हेतु रूपया रु.2,00,000/-(दो लाख मात्र) नवीनीकरण फीस जमा करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसके पंजीकरण का नवीनीकरण अनुमन्य किया जाएगा।

परन्तु यह कि नवीनीकरण की स्थिति में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(ग) नवीनीकृत बाण्ड अनुज्ञापनों पर वर्ष 2023-24 में प्रतिफल शुल्क के मद में अग्रिम रूप से जमा और अप्रयुक्त धनराशियों को वर्ष 2024-25 में अग्रेनीत कर समायोजित किया जाएगा।

(घ) बाण्ड अनुज्ञापनों पर प्रदेश के बाहर से प्राप्त होने वाले पारेषणों पर देय समस्त प्रकार के प्रतिफल शुल्क आदि आयात परमिट प्राप्त करते समय अग्रिम रूप से जमा कराये जायेंगे।

3.2.8 (i) विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीसः-

वर्ष 2024-25 में बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस रु.12/- प्रति बल्क लीटर ली जाएगी। माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस स्पेशल स्प्रिट आदि के बल्क में आयात पर रु.25.0/-प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस ली जाएगी। विदेशी मदिरा(माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस. स्पेशल स्प्रिट आदि को छोड़कर) अथवा ग्रेन ई.एन.ए. के आयात पर रू.12/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस ली जायेगी।

(ii) विदेशी मदिरा की निर्यात पास फीस (सिविल):-

माल्ट स्प्रिट, मेच्योर्ड माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस., स्पेशल स्प्रिट आदि का बल्क में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस वर्ष 2024-25 हेतु रु.10/- प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा का बोतलों में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस रु.3/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है। विदेशी मदिरा (माल्ट स्प्रिट, मेच्योर्ड माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस , स्पेशल स्प्रिट आदि को छोड़ कर) के बल्क में निर्यात पर निर्यात पास फीस रु.6/- प्रति बल्क लीटर

निर्धारित की जाती है। ग्रेन ई.एन.ए. के निर्यात के मामलों में निर्यात पास फीस की दर वर्ष 2024-25 हेतु रुपया 3/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2023-24 में भारतीय सेना को आपूर्ति की जाने वाली रियायती रम पर निर्यात पास फीस रुपये 1.00 प्रति ए.एल. निर्धारित है। जिसे वर्ष 2024-25 हेतु यथावत रखा जाता है।

प्रदेश में विदेशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति में कठिनाई होने पर ग्रेन ई.एन.ए. के निर्यात की अनुमति दिये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

3.2.9 विदेशी मदिरा की 90 एम.एल.व 60 एम.एल. की धारिता में बिक्री :-

वर्ष 2024-25 में प्रीमियम एवं उससे ऊपर की श्रेणियों की विदेशी मदिरा की बिक्री 60 एम.एल. एवं 90 एम.एल. की धारिता की शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में भी अनुमन्य की जाती है।

3.2.10 बार एवं क्लब लाइसेंस तथा समारोह बार लाइसेंस :-

(क) समस्त बार अनुज्ञापन उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसो की स्वीकृति) नियमावली, 2020 (यथासंशोधित) के अनुसार संचालित एवं व्यवस्थित होंगे।

किसी बार अनुज्ञापन परिसर से संबंधित भवन के दूसरे परिसर/टेरेस में बार अनुज्ञापी द्वारा अपने अतिरिक्त बार काउंटर की स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण करते हुये इसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत या रु. 2,50,000/-(दो लाख पचास हजार मात्र) जो अधिक हो, शुल्क लिया जायेगा।

बार अनुज्ञापनों के आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस, लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी एवं नवीनीकरण फीस लाइसेंस फीस का 01 प्रतिशत होगी। बार अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की दशा में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बार अनुज्ञापन के प्रकरणों में परिसर की उपयुक्तता के संबंध में जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

वर्ष 2024-25 हेतु बार अनुज्ञापनों की श्रेणियां एवं उनकी लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	बार अनुज्ञापनों के प्रकार	विशेष श्रेणी	श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3	श्रेणी-4
		गौतमबुद्धनगर के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ एवं गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र एवं इसकी परिधि से 5 कि.मी. तक जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	गौतमबुद्धनगर गाजियाबाद लखनऊ, के संपूर्ण जिला क्षेत्र (विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर) तथा कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी के नगर निगम क्षेत्र/जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद्, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एव विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित	बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या एवं फिरोजाबाद जिला के नगर निगम क्षेत्र/ जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	अन्य समस्त जनपदों के जिला मुख्यालय एवं समस्त जनपदों के नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	विशेष श्रेणी, श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।

			होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।			
1	एफ.एल.-6	वार्षिक लाईसेंस फीस				
	50 कमरों तक	15 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	2.50 लाख
	51 से 100 कमरों तक	17.50 लाख	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख
	101 या उससे अधिक कमरों	20 लाख	15 लाख	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख
2.	एफ.एल.-6 (पाँच सितारा एवं उच्च होटल)	27.5 लाख	25 लाख	20 लाख	15 लाख	12.5 लाख
	एफ.एल.-6 (चार सितारा होटल)	25 लाख	22.50 लाख	17.50 लाख	12.50 लाख	10 लाख
	एफ.एल.-6 (तीन सितारा होटल)	20 लाख	17.50 लाख	15 लाख	10 लाख	9 लाख
3	एफ.एल.-7	15 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	5.00 लाख
4	एफ.एल.-7ए	वार्षिक लाईसेंस फीस				
	100 सदस्यों तक	5.00 लाख	4.00 लाख	3.00 लाख	1.50 लाख	1.50 लाख
	100 से अधिक सदस्यों के लिए	7.00 लाख	5.00 लाख	4.00 लाख	2.00 लाख	2.00 लाख
5	एफ.एल.-8 (विशेष रेल गाड़ियाँ एवं क्रूज)	विशेष रेल गाड़ियाँ - रूपया 15.00 लाख क्रूज(अंतर्राष्ट्रीय)- रूपया 05.00 लाख क्रूज(अंतर्राज्यीय)- रूपया 03.00 लाख				
6	एफ.एल.-ए.एल.-1 (एअरपोर्ट बार लाइसेंस)	रूपया 05.00 लाख				

नोट:-प्रत्येक बार अनुज्ञापन परिसर में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी सेवन के विरुद्ध स्टील प्लेटेड चेतावनी बोर्ड परिपत्र संख्या:9853-9937/ग्यारह-ई.आई.बी./नारकोटिक्स संदेश बोर्ड/ प्रयागराज दिनांक 06.01.2022 के अनुसार उचित स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) बार अनुज्ञापनों की अतिरिक्त कार्यावधि:-

बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसो की स्वीकृति) नियमावली, 2020 (यथासंशोधित) के नियम-24 के अनुसार होगी। गत वर्ष की भाँति अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान पर 2024-25 हेतु निम्नानुसार कार्यावधि अनुमन्य की जाती है:-

1- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित बारों से रु.1,25,000/-(एक लाख पच्चीस हजार मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक।

2- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित होटल बार अनुज्ञापन परिसरों में मदिरा परोसने की अवधि रु.दो लाख पचास हजार अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर रात्रि 02 बजे तक।

3- तारांकित होटलों में रु.दो लाख पचास हजार प्रति 02 घन्टा की अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर रात्रि 04 बजे तक।

4- तारांकित होटलों में इनहाउस गेस्ट्स के लिये मदिरा परोसने की अवधि के संबंध में उपर्युक्त बिन्दु-3 के प्राविधान से छूट प्रदान की जाती है।

5- इवेंट बार/समारोह बार लाइसेंस की कार्यावधि आवेदक द्वारा विनिश्चित करते हुये आवेदन पत्र में इसे अंकित किया जायेगा परन्तु यह अवधि अधिकतम 12 घंटे ही होगी और रात्रि 12 बजे तक ही होगी।

6- यदि इवेंट स्थल पर किसी अन्य प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा का स्टाक अथवा इसका सेवन किया जाना पाया जाता है तब इवेंट बार अनुज्ञापी एवं इवेंट स्थल के प्रबंधक/स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। मदिरा क्रय स्थल की सूचना और क्रय की गयी मदिरा का विवरण सुरक्षित रखा जायेगा।

7- एफ.एल.-'ए.एल.'-1 (एअरपोर्ट बार लाइसेंस) के लिये अतिरिक्त कार्यावधि हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(ग) बार अनुज्ञापनों एवं माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण:-

1. वर्ष 2023-24 में बार, क्लब बार एवं माइक्रो ब्रिवरी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण संपूर्ण लाइसेंस फीस जमा किये जाने पर 03 वर्षो तक कराये जाने का भी विकल्प उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसे 2024-25 हेतु यथावत रखा जाता है। माइक्रोब्रिवरी से 5 लीटर तक के ग्राउलर/केग में बीयर की बिक्री अनुमन्य की जाती है। माइक्रोब्रिवरी में स्थापित टैंकों में संचित ड्युटी पेड बीयर की शेल्फ लाइफ अधिकतम 03 दिन होगी।

2. ईज आफ डूइंग बिजिनेस के दृष्टिगत माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण बार अनुज्ञापन के साथ सुगमता से कराने हेतु नवीनीकरण का अधिकार आबकारी आयुक्त से जिला कलेक्टर को प्रतिनिधायित किये जाने का निर्णय लिया गया था जिसे वर्ष 2024-25 में यथावत रखा जाता है।

3. वर्ष 2024-25 में बार अनुज्ञापन एवं माइक्रो ब्रिवरी का अनुज्ञापन एक साथ आवेदित करने पर बार अनुज्ञापन एवं माइक्रोब्रिवरी की सम्मिलित लाइसेंस फीस में रू.1,00,000/-(एक लाख मात्र) की छूट प्रथम वर्ष में प्रदान की जायेगी।

(घ) यदि किसी एफ.एल.-7 अथवा एफ.एल.-7ए अनुज्ञापन के परिसर में ही लान, स्वीमिंग पूल अथवा टेरेस भी है और परिसर में निर्धारित बिक्री काउण्टर से अधिक बिक्री काउण्टर होने का औचित्य पाया जाता है तब अनुज्ञापी के प्रार्थना पत्र पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विचार करते हुये निर्णय लिया जायेगा और स्वीकृति की दशा में ऐसे परिसर में एक अतिरिक्त बिक्री काउण्टर हेतु लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत अथवा रूपया 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) जो अधिक हो, अतिरिक्त लाइसेंस फीस ली जायेगी। एक से अधिक अतिरिक्त बिक्री काउण्टर स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

(ङ) वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा आबकारी नीति वर्ष 2022-23 के संलग्नक-5 के अनुसार वर्ष 2024-25 में यथावत रखी जाती है।

(च) समारोह बार लाइसेंस लेने वाले रिसार्ट, फार्महाउस, बैंक्वेट हाल, रेस्टोरेंट, कम्युनिटी हाल, होटल आदि को विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(छ) समारोह बार लाइसेंस के परिसर में अतिरिक्त बार काउंटर हेतु पृथक समारोह बार लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। एक से अधिक अतिरिक्त बार काउंटर अनुमन्य नहीं होंगे।

3.3 भारत निर्मित वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (लो अल्कोहलिक ब्रिवरेजेज़-एल.ए.बी.) पर प्रतिफल फीस एवं बिक्री की अनुमन्यता

3.3.1 वाइन, साइडर, शेरी एवं पेरी:-

(क) वर्ष 2024-25 में भारत में निर्मित वाइन (जिसमें नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रकार की वाइन के अतिरिक्त साइडर और पेरी भी सम्मिलित माने जायेंगे) पर आयात शुल्क, रु.04/- प्रति ब.ली. रखा जाता है।

(ख) वर्ष 2024-25 में भारत निर्मित वाइन और समुद्रपार आयातित वाइन पर प्रतिफल फीस एम. आर.पी. का 25 प्रतिशत (जो रू.10/- के अगले गुणक में रखी जायेगी) निर्धारित की जाती है।

प्रतिबंध यह होगा कि फोर्टिफाइड वाइन के मामले में प्रतिफल फीस एम.आर.पी. का 40 प्रतिशत (जो रू.10/- के अगले गुणक में रखी जायेगी) निर्धारित की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2024-25 हेतु निम्न व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती हैं:-

1. वर्ष 2024-25 हेतु कांच की बोतलों और एल्युमीनियम कैन में ही वाइन की आपूर्ति अनुमन्य होगी। कैन में आपूर्ति इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि शेल्फ लाइफ मात्र 09 माह ही होगी एवं संबंधित उत्पादक की ओर से लेबिल पर बड़े अक्षरों में शेल्फ लाइफ अंकित की जायेगी। संबंधित उत्पादकों द्वारा कैन में आपूर्ति हेतु उपयुक्तता का प्रमाण पत्र सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर के निदेशक की ओर से न्यूनतम 12 माह का प्रस्तुत करना होगा।

2. वाइन ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आसवनी/ब्राण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.डब्लू.पी. कास्ट एकाउंटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके सामानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.डब्लू.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई.डब्लू.पी. वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई.डब्लू.पी. एवं उसके द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तावित ई.डब्लू.पी. का संज्ञान लेकर आबकारी

आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत अन्य समीपवर्ती राज्यों में उत्तर प्रदेश से कम ई.डब्लू.पी नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई.डब्लू. पी. प्रस्तुत करते समय इसके समस्त काम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में अनुमोदित एम.आर.पी. से संबंधित समस्त विवरणों (कास्ट कार्ड) की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी। ई.डब्लू.पी. के अनुमोदन में निकटवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड के वास्तविक बिक्री मूल्य का संज्ञान भी लिया जायेगा ताकि प्रदेश के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

प्रतिबंध यह होगा कि किसी ब्राण्ड की ई.डब्लू.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

विभिन्न प्रदेशों में ई.डब्लू.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. पर वैट/जी.एस.टी., परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.डी.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रूपया एक लाख तक का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

3. स्पेशल फीस एवं ट्रैक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन हेतु रु.0.35 प्रत्येक धारिता की बोतल/कैन की ई.डब्लू.पी. में सम्मिलित होंगे।

4. वाइन की प्रत्येक धारिता की बोतल/कैन की ई.डब्लू.पी. में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। आई.ई.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 राजकोष में जमा करना होगा।

(ग) वर्ष 2023-24 की भाँति वर्ष 2024-25 में वाइन की बिक्री विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप से की जायेगी।

3.3.2 कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.):-

वर्ष 2023-24 में कम तीव्रता के मादक पेय के संबंध में ई.डी.पी. प्राप्त कर बीयर की भाँति एम.आर.पी. व प्रतिफल फीस के निर्धारण का प्राविधान किया गया है जिसे वर्ष 2024-25 में इस संशोधन के साथ लागू किया जाता है कि कम तीव्रता के मादक पेय की एम.आर.पी. व प्रतिफल फीस का निर्धारण निम्नांकित सूत्र के अनुसार किया जायेगा:-

क्र.सं.	ई.डी.पी. की श्रेणी प्रति बोतल/कैन (500 एम.एल.) (E) (रु.)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल/कैन (500 एम.एल.) (D) (रु.)	थोक विक्रेता का मार्जिन प्रति बोतल/कैन(500 एम.एल.) (WM) (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन प्रति बोतल/कैन(500 एम.एल.) (RM) (रु.)	एम.आर.पी. का सूत्र (MRP) (रु.)
1	2	3	4	5	6
1	ई.डी.पी (अन्य धारिताओं हेतु बीयर की भांति ई.डी.पी. का आगणन किया जायेगा)	ई.डी.पी का 50 प्रतिशत–रु 125	ई.डी.पी का 1.25 प्रतिशत+रु.2.00	ई.डी.पी का 20 प्रतिशत+रु 10.00	कालम 2+3+4+5 का योग

1. स्पेशल फीस एवं ट्रैक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन हेतु रु 0.35 प्रत्येक धारिता की बोतल की ई.डी.पी. में सम्मिलित होंगी।

2. कम तीव्रता के मादक पेय के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड ऑफ करते हुये, 10 के गुणांक के अगले स्तर पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा।

3. ई.डी.पी. में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। आई.ई.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 राजकोष में जमा करना होगा।

4. उपर्युक्तानुसार आगणित एम.आर.पी. में नियमानुसार देय विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की राशि को जोड़कर अंतिमीकृत एम.आर.पी. निर्धारित की जायेगी।

5. एल.ए.बी. की आपूर्ति कॉच की बोतलों के अतिरिक्त एल्युमीनियम कैन में भी अनुमन्य होगी। प्रतिबंध यह होगा कि एल्युमीनियम कैन में एल.ए.बी. के मामले में शेल्फ लाइफ मात्र 09 माह ही होगी एवं संबंधित उत्पादक की ओर से लेबिल पर बड़े अक्षरों में शेल्फ लाइफ अंकित की जायेगी। संबंधित उत्पादकों द्वारा कैन में आपूर्ति हेतु उपयुक्तता का प्रमाण पत्र सी.एफ.टी.आर.आई. मैसूर के निदेशक की ओर से न्यूनतम 12 माह का प्रस्तुत करना होगा।

वर्ष 2023-24 में उक्त मादकों की बिक्री बीयर, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप में अनुमन्य है जिसे वर्ष 2024-25 में यथावत रखा जाता है। प्रीमियम रिटेल वेण्ड में भी इनकी बिक्री अनुमन्य की जाती है।

3.4 बीयर, ऐल, पोर्टर:-

3.4.1 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस:-

बीयर की फुटकर दुकानों की वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2023-24 की वार्षिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये, निर्धारित की जाती है। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित की जाएगी।

3.4.2 बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी.:-

वर्ष 2023-24 हेतु बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण 500 मि.ली. के केन में माइल्ड (5 प्रतिशत वी./वी. या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता) एवं स्ट्रांग (5 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी./वी. अल्कोहल की तीव्रता तक) के लिये समान रूप से करते हुये किया गया जिसे वर्ष 2024-25 हेतु यथावत रखा जाता है।

बीयर उपभोक्ताओं द्वारा यत्र-तत्र उपभोग किये जाने के कारण कानून व्यवस्था की स्थितियाँ प्राय: उत्पन्न होती है जिसके निराकरण हेतु बीयर दुकानों हेतु उपभोग की सुविधा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमन्य की जायेगी परन्तु इस हेतु न्यूनतम 100 वर्ग फीट का पृथक परिसर(परमिट रूम) दुकान के 20 मीटर की परिधि के अंदर होना चाहिये। परमिट रूम की

सुविधा हेतु रु.5000/- शुल्क वित्तीय वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिये लिया जायेगा। परमिट रूम में कैंटीन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

वर्ष 2024-25 हेतु बीयर का प्रतिफल शुल्क एवं एम.आर.पी. का आगणन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

यवासवक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई.बी.पी.) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी / बाण्डधारक इकाई / एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति केन 500 एम.एल.(रु.में) (EBP)	प्रतिफल फीस प्रति केन (500 मि.ली.) (रु.में) (D)	थोक विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली) (रु.में)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली) (रु.में)	अधिकतम फुटकर मूल्य प्रति केन (500 मि.ली.) MRP (रु.में) जिसे रु.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में लिया जायेगा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.50 तक	31+ई.बी.पी. का 90 प्रतिशत	1.25+ई.बी.पी. का 1.8 प्रतिशत	12.25+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
27.50 से अधिक से 30.00 तक	32+ई.बी.पी. का 90 प्रतिशत	1.25+ई.बी.पी. का 1.8 प्रतिशत	12.25+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
30.00 से अधिक से 35.00 तक	33+ई.बी.पी. का 100 प्रतिशत	1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
35.00 से अधिक से 40.00 तक	35+ई.बी.पी. का 100 प्रतिशत	1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
40.00 से अधिक से 45.00 तक	35+ई.बी.पी. का 105 प्रतिशत	1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
45.00 से अधिक	35+ई.बी.पी. का 110 प्रतिशत	1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग

शेष प्रक्रिया गतवर्ष की भांति रहेगी।

वर्ष 2024-25 में केग में बीयर (माइक्रोब्रिवरी से उत्पादित बीयर को छोड़कर) की आपूर्ति हेतु 15, 20, 30 एवं 50 लीटर की धारिताओं को अनुमन्य किया जाता है, जिनकी ई.बी.पी. यवासवक द्वारा पृथक से प्रस्तुत की जायेगी जिसके आधार पर 500 एम.एल. केन के सापेक्ष उपरोक्तानुसार प्रतिफल शुल्क का आगणन किया जायेगा। केग में क्रय के मामलों में बार अनुज्ञापनों द्वारा जमा की जाने वाली स्पेशल फीस 500 एम.एल. केन पर निर्धारित स्पेशल फीस के समानुपाती होगी।

भारत निर्मित बीयर ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु यवासवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.बी.पी. कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके सामानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.बी.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई.बी.पी. वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई.बी.पी. एवं उसके द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तावित ई.बी.पी. का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत अन्य समीपवर्ती राज्यों में उत्तर प्रदेश से कम ई.बी.पी. नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई.बी.पी. प्रस्तुत करते समय इसके समस्त कम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में अनुमोदित एम.आर.पी. से संबंधित समस्त विवरणों (कास्ट कार्ड) की तालिका भी

प्रस्तुत की जायेगी। ई.बी.पी. के अनुमोदन में निकटवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड के वास्तविक बिक्री मूल्य का संज्ञान भी लिया जायेगा ताकि प्रदेश के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

प्रतिबंध यह होगा कि किसी ब्राण्ड की ई.बी.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

विभिन्न प्रदेशों में ई.बी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, वैट/जी.एस.टी., परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.बी.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रूपया एक लाख तक का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा। स्पेशल फीस एवं ट्रैक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन फीस ई.बी.पी. में सम्मिलित होगी। बीयर की ई.बी.पी. में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। आई.ई.एस. सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 राजकोष में जमा करना होगा।

500 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.बी.पी के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.बी.पी. का निर्धारण किया जाएगा एवं ई.बी.पी. का आगणन निम्नानुसार होगाः-

EBP of SKU less than or equal to 500ML	EBP(Size of SKU)= [EBP(500)/500]*(Size of SKU)
EBP of SKU more to 500 ML	EBP(Size of SKU)= [(EBP(500)-2)/500]*(Size of SKU)

3.4.3 बीयर से संबंधित अन्य व्यवस्थायें:-

(क) बीयर की शेल्फ लाइफ

प्रदेश में बिक्री हेतु आपूर्तित भारत निर्मित बीयर की शेल्फ लाइफ के संबंध में वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति में उल्लिखित प्रावधान को वर्ष 2024-25 में यथावत रखा जाता है।

(ख) भारत निर्मित बीयर, ड्राट बीयर, पोर्टर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात और आयात शुल्क को वर्ष 2024-25 में निम्नानुसार रखा जाता है:-

क्र.सं.	शुल्क का प्रकार	वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित
1.	निर्यात शुल्क	रु.2.00/- प्रति बल्क लीटर।
2.	आयात शुल्क	रु. 4.50/- प्रति बल्क लीटर।

प्रदेश में बीयर की आपूर्ति में कठिनाई आने पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा बीयर के निर्यात पर यथोचित अवधि तक प्रतिबंध लगाया जाना अनुमन्य किया जाता है।

3.4.4 अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीसः-

वर्ष 2024-25 में अन्य देशों से आयातित सभी तीव्रता की बीयर के लिये परमिट फीस की दर रूपया 175/- प्रति लीटर रखी जाती है।

3.4.5 माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर एवं अन्य व्यवस्थायें-

माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर वर्ष 2024-25 में रु.100/- प्रति ब.ली. निर्धारित किया जाता है।

3.5 माडल शॉप्स और प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स

3.5.1 मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीसः-

(अ) मॉडल शॉप्स की वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2023-24 की वार्षिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2023-24 में नवीनीकृत माडल शॉप की लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति, निकाय के लिये नवसृजित माडल शाप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होने की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। उक्त निर्णय वर्ष 2024-25 में यथावत रखा जाता है।

(ब) माडल शॉप पर मदिरा पान का शुल्क रूपया 3,00,000/- निर्धारित किया जाता है।

3.5.2 प्रीमियम रिटेल वेण्ड

(1) प्रीमियम रिटेल वेण्ड का नवीनीकरण

वर्ष 2023-24 में व्यवस्थित प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों का वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस पर नवीनीकरण कराया जाएगा। नवीनीकरण हेतु प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस जमा करके इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में प्रस्तुत किये जायेंगे। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 7 कार्यदिवस के अंदर प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेते हुये उपयुक्त पाये जाने पर अनुज्ञापी को लाइसेंस फीस जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस विदेशी मदिरा दुकानों के समतुल्य होगी।

(2) लाइसेंस फीस

वर्ष 2023-2024 में प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु रूपया पच्चीस लाख लाइसेंस फीस निर्धारित है जिसे वर्ष 2024-25 में रूपया पच्चीस लाख निर्धारित किया जाता है।

(3) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर वोदका एवं रम 700 रूपये या अधिक एम.आर.पी. की ब्राण्ड और बीयर के 140 रूपये प्रति 500 एम.एल. केन के एम.आर.पी. या समतुल्य ब्राण्ड का बिक्री का प्राविधान है। इस श्रेणी की अन्य धारिताओं के अनुमन्यता के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वोदका एवं रम की प्रति बोतल एवं बीयर प्रति केन निर्धारित दरों पर जो ब्राण्ड अनुमन्य हैं उन ब्राण्डों की सभी धारितायें बिक्री के लिये अनुमन्य होंगी। प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु अनुमन्य अन्य श्रेणियों की मदिरा की समस्त धारिताओं की बिक्री भी अनुमन्य होगी।

(4) वर्ष 2024-25 में निम्न प्राविधान किया जाता है:-

(i) समस्त प्रकार के कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) की बिक्री भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड में अनुमन्य होगी।

(ii) सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त होने पर हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन के अंदर भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे। ऐसी दुकानों का प्रवेश एवं निकास द्वार मुख्य भवन के अंदर से होगा।

(iii) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग की सुविधा अनुमन्य होगी और टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा।

(iv) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर मदिरा सेवन संबंधी एसेसरीज़ जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेंगी, की बिक्री भी अनुमन्य होगी।

3.6 विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं माडल शाप में मासिक राजस्व के उठान की अनिवार्यता:-

3.6.1 वर्ष 2024-25 हेतु विदेशी मदिरा दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड और माडल शॉप का वार्षिक राजस्व वर्ष 2023-24 में निर्धारित वार्षिक राजस्व पर 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ निर्धारित किया जायेगा। बीयर दुकानों के वार्षिक राजस्व में वर्ष 2024-25 हेतु कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। वर्ष 2024-25 में नवसृजित विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडलशॉप (प्रस्तर-3.11.1 (ग) के प्रकरणों को छोडकर) का वार्षिक राजस्व निर्धारित नहीं किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित वार्षिक राजस्व के आधार पर दुकानों हेतु मासिक राजस्व/त्रैमासिक राजस्व का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा।

(क) माडल शॉप का मासिक राजस्व, वार्षिक राजस्व का 1/12 भाग होगा। परन्तु प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक राजस्व का विभाजन त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा जो एक समान वार्षिक राजस्व का 1/4 भाग होगा।

(ख) विदेशी मदिरा दुकानों के वार्षिक राजस्व का मासिक विभाजन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.सं.	**माह**	**वार्षिक राजस्व का प्रतिशत**
1.	अप्रैल	7 प्रतिशत
2.	मई	10 प्रतिशत
3.	जून	8 प्रतिशत
4.	जुलाई	6 प्रतिशत
5.	अगस्त	6 प्रतिशत
6.	सितम्बर	6 प्रतिशत
7.	अक्टूबर	10 प्रतिशत
8.	नवम्बर	10 प्रतिशत
9.	दिसम्बर	10 प्रतिशत
10.	जनवरी	10 प्रतिशत
11.	फरवरी	9 प्रतिशत
12.	मार्च	8 प्रतिशत

(ग) बीयर दुकानों के वार्षिक राजस्व का त्रैमासिक विभाजन निम्नवत् किया जायेगा:-

क्र.सं.	**माह**	**वार्षिक राजस्व का प्रतिशत**
1.	प्रथम त्रैमास	38 प्रतिशत
2.	द्वितीय त्रैमास	26 प्रतिशत
3.	तृतीय त्रैमास	17 प्रतिशत
4.	चतुर्थ त्रैमास	19 प्रतिशत

प्रथम त्रैमास में न्यूनतम त्रैमासिक राजस्व के उठान में कमी को द्वितीय त्रैमास तक पूर्ण कर लिया जाना अनुमन्य होगा परन्तु इस हेतु निर्धारित प्रशमन धनराशि जमा करने पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।

3.6.2 माडल शाप और प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक/मासिक/त्रैमासिक राजस्व में विदेशी मदिरा तथा बीयर और एल.ए.बी. इत्यादि का राजस्व सम्मिलित माना जाएगा।

3.6.3 किसी भी माह/त्रैमास हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने के प्राविधान का पालन न किये जाने की स्थिति में यह व्यवस्था की जाती है कि संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने हेतु 10 दिवस का अवसर दिया जायेगा और तत्पश्चात अतिरिक्त प्रतिभूति जमा न होने की स्थिति में दुकान का अनुज्ञापन स्वतः निरस्त हो जायेगा और कुल राजस्व क्षति की नियमानुसार वसूली की जायेगी। दुकान पर उपलब्ध अविक्रीत स्टाक को जब्त कर लिया जायेगा। संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति समयांतर्गत जमा करने की दशा में अगले माह हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी एवं पिछले माह/त्रैमास तक के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी अनुज्ञापी द्वारा ली जा सकेगी। किसी माह/त्रैमास तक निर्धारित कुल चलित राजस्व के समतुल्य निकासी ले लिये जाने पर पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्य कोई बकाया न रहने की स्थिति में अविलम्ब वापस कर दी जायेगी। अगले माह/त्रैमास में आवश्यक राजस्व (पिछले माह/त्रैमास के बकाया राजस्व सहित) का उठान न करने पर प्रशमन की कार्यवाही की जायेगी।

3.7 समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति

3.7.1 वर्ष 2024-25 में समुद्रपार आयातित मदिरा की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती है:-

(1) आयातक इकाई का तात्पर्य वैध आयात/निर्यात प्रमाण पत्र (आई.ई.सी.) धारक से है।

(2) समुद्रपार आयातित मदिरा का आयात करने वाली ऐसी समस्त आयातक इकाइयों (क) जो प्रदेश में सीधे अपने किसी कस्टम बाण्ड में आयात कर अथवा (ख) अन्य प्रांतों में स्थित किन्हीं अन्य आयातक इकाइयों के कस्टम बाण्डों से स्थानांतरण प्राप्त कर अथवा (ग) अन्य प्रांतों में स्थित किसी आयातक इकाई के कस्टम बाण्ड को स्थानांतरण कर अथवा (घ) प्रदेश में स्थित किसी अन्य आयातक इकाई के कस्टम बाण्ड को मदिरा का स्थानांतरण कर अथवा (ङ) प्रदेश में समुद्रपार आयातित मदिरा का किसी प्रकार से कार्य करती हों, को उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के विहित पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। आयातक इकाई एवं उसके किसी एक कस्टम बाण्ड के युग्म का एक पंजीकरण किया जायेगा।

(3) आयातक इकाइयों को आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क रूपया 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) निर्धारित किया जाता है जो आनलाइन जमा किया जायेगा।

(4) आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत आयातक इकाइयों को परस्पर प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश से बाहर अथवा प्रदेश के बाहर से प्रदेश के अंदर कस्टम बाण्ड से कस्टम बाण्ड समुद्रपार मदिरा का स्थानांतरण/लेन-देन/व्यापार आदि का विवरण विभागीय पोर्टल पर भरा जाना अनिवार्य होगा।

(5) प्रदेश के किसी कस्टम बाण्ड के माध्यम से समुद्रपार आयातित मदिरा का व्यवसाय करने वाली आयातक इकाइयों को प्रदेश के थोक अथवा विहित फुटकर अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री करने हेतु बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन लेना अनिवार्य होगा।

(6) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन का लाइसेंस शुल्क रू.10,00,000/-(रूपया दस लाख मात्र) एक आबकारी वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिये निर्धारित किया जाता है। प्रतिभूति धनराशि रू.5,00,000/-(रूपया पॉच लाख मात्र) निर्धारित की जाती है।

(7) किसी जनपद के बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन के अंतर्गत उसी जनपद में स्थित मात्र एक कस्टम बाण्ड ही संबद्ध किया जायेगा परन्तु किसी एक कस्टम बाण्ड में एक से अधिक आयातक इकाइयों द्वारा पृथक-पृथक स्पेस आवंटित कराकर उन्हें अपने बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों से संबद्ध कराया जा सकता है।

(8) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त संबद्ध किये जाने वाले कस्टम बाण्ड का अपेक्षित विवरण एवं इसमें स्पेस आवंटित होने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन के संचालन हेतु एक डिबान्डेड मदिरा का गोदाम अनिवार्य होगा जिसका परिसर उसी जनपद में तथा संबद्ध कस्टम बाण्ड के परिसर से बाहर होगा। बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन का संचालन उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत समस्त आयातक इकाइयों द्वारा प्रदेश में स्थित अपने बी.आई.ओ.-1 से प्रदेश के बाहर के किसी थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता (कस्टम बाण्ड को छोड़कर) जिसके पास वैध आयात परमिट हो, को कस्टम ड्युटी पेड मदिरा के निर्यात हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से आनलाइन निर्यात परमिट अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा संबंधित मदिरा की निकासी (निर्यात) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल द्वारा निर्गत परिवहन पास के माध्यम से ही की जायेगी। उपरोक्त निर्यात (कस्टम बाण्ड से अन्य कस्टम बाण्ड की आपूर्ति को छोड़कर) पर रूपया 300/- प्रति बल्क लीटर परमिट फीस देय होगी।

(10) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रदेश में स्थित अपने कस्टम बाण्ड से किसी अन्य आयातक इकाई के कस्टम बाण्ड को मदिरा के स्थानांतरण हेतु पोर्टल पर अपेक्षित समस्त सूचनाओं को भरा/अपलोड किया जायेगा तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का नि:शुल्क अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(11) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रदेश के बाहर की किसी आयातक इकाई जो उत्तर प्रदेश के विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत हों, से ही पोर्टल पर विहित प्रक्रिया के अनुसार बाण्ड टु बाण्ड मदिरा का स्थानांतरण प्राप्त करना होगा अथवा स्थानांतरित करना होगा तथा इस हेतु प्रदेश मे स्थित इकाई को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना होगा।

(12) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को विदेश से सीधे मदिरा आयात किये जाने की स्थिति में पोर्टल पर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना होगा।

(13) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को अपने कस्टम बाण्ड में प्राप्त मदिरा एवं इसकी निकासी का वांछित विवरण, अपेक्षित प्रपत्रों के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) उत्तर प्रदेश के थोक अनुज्ञापनों एवं विहित फुटकर अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री किये जाने वाले समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों का प्रत्येक बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन वार अनुमोदन/पंजीकरण निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया एवं निर्धारित शुल्क जमा करते हुये, कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु ब्राण्ड स्वामी अथवा भारत में संबंधित ब्राण्ड के प्रमुख आयातक/ब्राण्ड स्वामी का प्राधिकार पत्र अनिवार्य नहीं होगा। इस हेतु भारत सरकार से निर्गत ट्रेड मार्क प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी। इस हेतु विदेश से निर्गत कोई समकक्ष प्रमाण पत्र ही आवश्यक होगा परन्तु किसी विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(15) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों के प्रदेश में स्थित कस्टम बाण्डों में संचित किये जाने वाले ऐसे समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों, जिनकी बिक्री उत्तर प्रदेश के थोक अनुज्ञापनों एवं विहित फुटकर अनुज्ञापनों को नहीं की जानी होगी, का भी आनलाइन अनुमोदन/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह अनुमोदन/पंजीकरण निःशुल्क होगा।

(16) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रत्येक कस्टम बाण्ड टु कस्टम बाण्ड निकासी से संबंधित रीवेयरहाउसिंग प्रमाण पत्र पोर्टल पर नियत समयावधि में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रदेश के किसी कस्टम बाण्ड से किसी अन्य कस्टम बाण्ड हेतु जाने वाले समस्त पारेषणों को उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा निर्गत एफ.एल.-36 परिवहन पास के अंतर्गत ही प्रेषित किया जायेगा।

(17) समुद्रपार विदेशी मदिरा अथवा बीयर के पारेषण छोटे होते हैं अतः बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन से कई गंतव्य स्थानों हेतु एक ही वाहन से मदिरा का परिवहन किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की जाती है।

(18) वर्ष 2024-25 हेतु गतवर्ष के बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों का नवीनीकरण उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत कराया जाना अनुमन्य होगा। नवीनीकरण फीस रूपया एक लाख निर्धारित की जाती है। नये बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रूपया 1,00,000/- होगी। नवीनीकरण के मामलों में प्रासेसिंग फीस नहीं ली जायेगी।

(19) यदि उत्तर प्रदेश के किसी कस्टम बाण्ड के माध्यम से मदिरा व्यवसाय करने वाली आयातक इकाई द्वारा विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया जाता है तब उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(20) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापी यदि किसी अन्य नगर निगम के जनपद अथवा मण्डल मुख्यालय के जनपद में भी अनुज्ञापन लेना चाहता है तब उसे बी.आई.ओ.-1 ए अनुज्ञापन स्वीकृत किया जायेगा जिसकी लाइसेंस फीस रु.5,00,000/- होगी। इस लाइसेंस को बी.आई.ओ.-1 की समस्त सुविधायें प्राप्त होंगी।

3.7.2 समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की एम. आर. पी. एवं परमिट फीस:-

वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और एल.ए.बी. की एम.आर.पी.का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा की एम.आर.पी.:-

सी.आई.एफ. मूल्य प्रति बोतल	लाभांश+ हैंडलिंग चार्जेज	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी आई एफ मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2	विदेशी मदिरा के मामले में संबंधित तालिका के अनुसार (यथावश्यकता समानुपातिक)	रु 5.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 3.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	रु 90+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 10.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	3+4+5+6+7 का योग (जिसे रु 10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

(2) समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस:-

यथा घोषित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित परमिट फीस
रु 0 से 600 तक	रु 400 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 40 प्रतिशत
रु 600 से अधिक से 1500 तक	रु.650 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 30 प्रतिशत
रु 1500 से अधिक से 3000 तक	रु.1000 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 20 प्रतिशत
रु 3000 से अधिक	रु 1500 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत

(3) समुद्रपार आयातित बीयर की एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जायेगा:-

सी.आई. एफ. मूल्य	लाभांश	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी आई एफ मूल्य का 110 प्रतिशत	1+2	रूपया 175/- प्रति ब.ली.	आयातक द्वारा प्रस्तावित	आयातक द्वारा प्रस्तावित	3+4+5+6+7 का योग (जिसे रु.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप मे लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

(4) समुद्रपार आयातित वाइन की एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जायेगा:-

सी.आई. एफ. मूल्य	लाभांश+हैंडलिंग चार्जेज	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन (प्रति 750 एम.एल.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (प्रति 750 एम.एल.)	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई.ए फ. मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2	प्रस्तर 3.3.1(ख) के अनुसार	रु 5.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य(750 एम.एल.) का 3.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	रू 90.00+ए क्स कस्टम बाण्ड मूल्य(750 एम.एल.) का 10 प्रतिशत(यथाव श्यकता अनुपातिक)	3+4+5+6+7 का योग (जिसे रु 10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

(5) समुद्रपार आयातित एल.ए.बी. की एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जायेगा:-

सी.आई. एफ. मूल्य प्रति बोतल	लाभांश+ हैंडलिंग चार्जेज	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई एफ मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2	LAB के मानकों में संबंधित तालिका के अनुसार (यथावश्यकता समानुपातिक)	रु.5.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 4.50% (यथावश्यकता अनुपातिक)	रु 50+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 11.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	3+4+5+6+7 का योग (जिसे रु 10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

एल.ए.बी. की परमिट फीस

यथा घोषित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित परमिट फीस (750 एम.एल.)
रु 0 से 150 तक	रु 125 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 50 प्रतिशत
रु 150 से अधिक	रु.125 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 100 प्रतिशत

(6) घोषित सी.आई.एफ. मूल्य पंजीकरण के विगत 3 माह के औसत के आधार पर होगा। स्पेशल फीस एवं ट्रैक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन फीस एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य में सम्मिलित होगी।

(7) यदि बी.आई.ओ.-1/1ए द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बिक्री सीधे प्रीमियम रिटेल वेण्ड, माडल शॉप एवं बार को की जाती है तब एम.आर.पी. निर्धारण के अंतर्गत निर्धारित थोक विक्रेता के मार्जिन के समतुल्य धनराशि को प्रतिफल शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाएगा।

(8) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आयातक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य, कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य एवं उसके द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तावित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर

प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत अन्य समीपवर्ती राज्यों में उत्तर प्रदेश से कम एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य नहीं प्रस्तुत की जायेगी। वर्ष 2024-25 में सी.आई.एफ. और मार्जिन दोनों का भी परीक्षण किया जायेगा।

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य के अनुमोदन में निकटवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड के वास्तविक बिक्री मूल्य का संज्ञान भी लिया जायेगा ताकि प्रदेश के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

प्रतिबंध यह होगा कि किसी ब्राण्ड की एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

(9) नेपाल निर्मित बीयर एवं भूटान निर्मित मदिरा एवं बीयर के आयात को देश के अन्य राज्यों की भाँति आयात/निर्यात माना जाएगा।

(10) समुद्रपार आयातित मदिरा के ब्राण्डों के विभिन्न वैरियेंट्स उनके मेच्योरेशन अवधि के आधार पर मान्य होंगे।

(11) समुद्रपार आयातित मदिरा की ई.सी.बी.वी. में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट तथा रु. 0.35 ट्रैक एण्ड ट्रेस फीस भी सम्मिलित होगी। आई.ई.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 राजकोष में जमा करना होगा।

<u>3.8 भांग:-</u>

3.8.1 लाइसेंस फीस

भांग की फुटकर दुकान की वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2023-24 की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये रूपया 1,000/- के अगले गुणक में निर्धारित की जाएगी। वर्ष 2023-24 में जिन भांग दुकानों का नियमित व्यवस्थापन नहीं हो सका उन्हें समाप्त किया जाता है।

3.8.2 भांग की निर्यात फीसः-

वर्ष 2024-25 हेतु भांग की अन्य प्रांतों हेतु निर्यात फीस को रु.30/- प्रति किलोग्राम रखा जाता है।

3.8.3 भांग की थोक आपूर्तिः-

वर्ष 2023-24 में भांग की थोक आपूर्ति के संबंध में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2024-25 में इस संबंध में कोई नवीन व्यवस्था लागू होने तक यथावत रखा जाता है। भांग की थोक आपूर्ति हेतु आपूर्तकों के चयन और प्राप्त दरों का अनुमोदन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

3.9 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप का सृजनः-

3.9.1 वर्ष 2024-25 में, वर्ष 2023-24 में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप, भांग, की कुल दुकानों के 3 प्रतिशत तक के समतुल्य दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया जाता है। इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

3.9.2 नवसृजित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू./बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीसः-

3.9.2.1 वर्ष 2024-25 हेतु असेवित क्षेत्र में नवसृजित देशी मदिरा की दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू. एवं नवसृजित विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस वर्ष 2023-24 की भाँति निम्नवत् रखा जाता है:-

क्र. सं.	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	न्यूनतम एम.जी.क्यू. (36प्रतिशत वी./वी.) (ब.ली.में)	न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में)	
		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर
1.	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	26,600	13,60,000	2,60,000
2.	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	19,000	4,65,000	1,40,000
3.	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि तक	11,500	2,25,000	85,000
4.	ग्रामीण	6,600	1,20,000	75,000

3.9.2.2 नवसृजित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीसः-

वर्ष 2024-25 हेतु नवसृजित मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस गतवर्ष की भाँति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	निकाय	लाइसेंस फीस (रुपये में)
1.	लखनऊ एवं गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र तथा नोयडा और ग्रेटर नोयडा के प्राधिकरण क्षेत्र के लिये	न्यूनतम रु.75.00 लाख।
2.	अन्य नगर निगम क्षेत्रों के लिये	न्यूनतम रु.65.00 लाख।
3.	अन्य स्थानों पर स्थित मॉडल शॉप्स के लिये	न्यूनतम रु.22.00 लाख।

प्रतिभूति धनराशि विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की भाँति लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मॉडल शॉप्स पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने के लिये वर्ष 2023-24 हेतु रु.3,00,000/- वर्ष या वर्ष के किसी भाग के लिये निर्धारित है जिसे वर्ष 2024-25 में यथावत् रखा जाता है।

3.10 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और प्रीमियम रिटेल वेण्ड तथा माडल शॉप का वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरणः-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन प्रथम बार ई-लाटरी के माध्यम से किया गया था और वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 में फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई-नवीनीकरण प्रक्रिया के माध्यम से सामान्यतया किया गया है। इन वर्षों में नवीनीकृत न होने वाली दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से भी कई चरणों में अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से संपन्न कराया जाता रहा है और नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन शतप्रतिशत ई-लाटरी के माध्यम से ही कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया जाता है।

3.10.1 दुकानों का वर्ष 2024-25 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जायेगा:-

1. अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2. वर्ष 2023-24 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3. नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी को रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक-2)** पर देना होगा।

पूर्व के भवन/परिसर की अनुपलब्धता की स्थिति में दुकानों का नवीनीकरण इस शर्त के साथ कि उक्त दुकान की अवस्थिति में परिवर्तन न हो, परिवर्तित चौहद्दी पर भी किया जा सकता है, और इस संबंध में लाइसेंस प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

3.10.2 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और प्रीमियम रिटेल वेण्ड तथा माडल शॉप के वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण की प्रक्रिया

(क) सर्वप्रथम संबंधित जिला के जिला कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जिला की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जिला की व्यवस्थित और नवीनीकरण हेतु अर्ह दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जिला की वेबसाइट, ई-लाटरी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) वर्ष 2023-24 की अर्ह दुकानों के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र जिसका प्रारूप **संलग्नक-3** है, अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस वर्ष 2024-25 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

क्र.सं.	फुटकर दुकान का प्रकार	आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस (रुपये में)
1.	देशी मदिरा	40,000/-
2.	विदेशी मदिरा	50.000/-
3.	बीयर	30,000/-
4.	मॉडल शॉप्स	60,000/-
5.	भाग	20 000/-

ई-लाटरी हेतु भी उपरोक्त प्रासेसिंग फीस ही ली जायेगी।

आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि बैंक/कोषागार के 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष

50 प्रतिशत धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा की जा सकेगी। प्रतिभूति का अंतर निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर रु 2000/- प्रति दिवस की दर से अर्थ दण्ड आरोपित होगा। अर्थ दण्ड सहित मात्र 15 दिवस की अवधि प्रतिभूति का अंतर जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति का अंतर जमा न करने पर नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा और दुकान का अग्रेतर व्यवस्थापन किया जायेगा।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि अनुमन्य समयान्तर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2023-24 की प्रतिभूति जो 2024-25 के लिये अग्रेणीत की जानी थी, का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2024-25 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी दुकान का वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण संपन्न होने के पश्चात वर्ष 2023-24 के अनुज्ञापन की शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य किसी अनियमितता से उस दुकान का अनुज्ञापन वर्ष 2023-24 में निरस्त कर दिया जाता है तब उस दुकान के संबंध में वर्ष 2024-25 हेतु जमा बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति का अंतर (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त नहीं किया जायेगा परन्तु नवीनीकरण एवं प्रासेसिंग फीस वापस नहीं होगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नवीनीकरण कराने के पश्चात दुकान को उचित अवस्थिति में खोलने और संचालित करने का संपूर्ण दायित्व अनुज्ञापी का होगा।

3.10.3 नवीनीकरण फीसः-

वर्ष 2024-25 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर तथा भांग की फुटकर दुकानों और माडल शाप की नवीनीकरण फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र. सं.	निकाय	नवीनीकरण फीस की दर प्रति दुकान (रुपये में)				
		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर	मॉडल शॉप्स	भांग
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	1,00,000	1,00,000	75,000	1,05,000	6,500
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	90,000	90,000	65,000	95,000	6,500
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	70,000	70,000	45 000	70,000	6,500
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	40,000	40,000	25,000	55,000	6,500

3.11 ई-लाटरी द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन

3.11.1 (क) नवीनीकरण से अवशेष देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भॉग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स का वर्ष 2024-25 हेतु व्यस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के

अनुसार किया जाएगा। ई-लाटरी का प्रथम चरण (नवीनीकरण से अवशेष समस्त दुकानों हेतु) वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस/ वार्षिक राजस्व (जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर-3.6.1 के अनुसार किया जायेगा) पर होगा।

(ख) वर्ष 2024-25 हेतु ई-लाटरी में किसी आवेदक को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप को मिलाकर 02 से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी, प्रतिबंध यह होगा कि यदि किसी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023-24 में 02 अथवा इससे अधिक दुकानें आवंटित अथवा नवीनीकृत अथवा मृतक वारिस के रूप में नामांतरित थीं तब उनका वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा कि यदि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 02 या 02 से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करा लिया गया है तो वह अवशेष रिक्त दुकानों के चयन हेतु ई-लाटरी/ई-टेण्डर हेतु अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। अनुज्ञापी की मृत्यु के फलस्वरूप विधिक वारिस के पक्ष में अनुज्ञापन के नामांतरण वाले मामलों में उक्त प्रतिबंध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

चयनोपरांत चयनित आवेदक द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि एवं अन्य देय धनराशियाँ भी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदित दुकान की धरोहर धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट आवेदक द्वारा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। चयन की स्थिति में पूर्ण रुपेण देयतायें जमा करने पर और दुकान आवंटित न होने पर धरोहर धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट अनुज्ञापी/ आवेदक को 15 दिन के अन्दर निर्धारित प्रक्रियानुसार वापस कर दिया जाएगा।

प्रतिभूति निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर रु 2000/- प्रति दिवस की दर से अर्थ दण्ड आरोपित होगा। अर्थ दण्ड सहित मात्र 15 दिवस की अवधि प्रतिभूति जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति जमा न करने पर आवंटन/अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा।

ई-लाटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन में संपन्न कराया जाएगा। ई-लाटरी प्रणाली से दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भांति एन.आई.सी. के माध्यम से कराया जाएगा। ई-लाटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) ई-टेण्डर के पश्चात् कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु जिले में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने हेतु अग्रेतर चरण का व्यवस्थापन कराया जायेगा। इस हेतु अव्यवस्थित/नवसृजित देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस रूपया 32/- प्रति लीटर एम.जी.क्यू. (पुनर्आवंटित) के आधार पर निर्धारित की जायेगी। अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों के मध्य अव्यवस्थित कुल वार्षिक राजस्व का पुनरावंटन युक्ति-युक्त ढंग से किया जायेगा।

(घ) उपरोक्त उप प्रस्तर-(ग) से आच्छादित अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा और इस ई-लाटरी के पश्चात अव्यवस्थित रह गयीं दुकानें समाप्त हो जायेंगी।

(ङ) दुकानों को दैनिक आधार पर चलाया जाना:-

फुटकर दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन के संबंध में वर्ष 2023-24 की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(च) दुकानों का मध्य सत्र में व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन:-

दुकानों के मध्य सत्र में पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में वर्ष 2023-24 में लागू व्यवस्था को वर्ष 2024-25 में यथावत रखा जाता है। मध्य सत्र में व्यवस्थापित की जाने वाली दुकानों की ई-टेण्डर प्रक्रिया में एकल टेण्डर भी स्वीकार किये जायेंगे।

(छ) प्रतिभूति की धनराशि/प्रतिभूति की धनराशि के अंतर को जमा किये जाने की प्रक्रियाः-

वर्ष 2024-25 हेतु प्रतिभूति/ प्रतिभूति के अंतर की धनराशि सावधि जमा रसीद अथवा नगद जमा के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। पूर्व में अन्य प्रकार से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो।

(ज) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण:-

(1) वर्ष 2024-25 में मदिरा/भांग की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स के लिये दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूलरुप में) वांछित होगा तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा। दिनांक 01.01.2023 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जिला के आबकारी कार्यालय में जमा है तब इसकी प्रमाणित छाया प्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(4) वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकृत होने वाली दुकानों के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र, वैधता समाप्त न हो तो मान्य होंगे। वैधता समाप्त होने की स्थिति में नया हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.12 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) का नवीनीकरण

3.12.1 वर्ष 2023-24 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों के इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2024-25 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अपने थोक अनुज्ञापनों का वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण गत वर्ष की भाँति अनुमन्य किया जाता है।

वर्तमान वर्ष 2023-24 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों को निम्नांकित शर्तों के अधीन 2024-25 हेतु नवीनीकृत किया जाएगाः-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2023-24 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2023-24 में न पायी गयी हो।

(4) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2024 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2023-24 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2024-25 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2023-24 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

गतवर्ष की भांति थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

3.12.2 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की प्रक्रियाः-

(1) सर्वप्रथम आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रदेश में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण आबकारी आयुक्त कार्यालय, एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) थोक अनुज्ञापनों अथवा बाण्ड अनुज्ञापनों के वर्ष 2023-24 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र जिसका प्रारूप **<u>संलग्नक-3</u>** है एवं संबंधित जिला

आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति की तिथि से 15 दिन तक जमा की जा सकेगी।

प्रतिभूति का अंतर निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर रु.2000/- प्रति दिवस की दर से अर्थ दण्ड आरोपित होगा। अर्थ दण्ड सहित मात्र 15 दिवस की अवधि प्रतिभूति का अंतर जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति का अंतर जमा न करने पर नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि अनुमन्य समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2023-24 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2024-25 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

3.12.3 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) के आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस

2024-25 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) हेतु आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रुपया 1,50,000/-निर्धारित की जाती है।

3.12.4 थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस

वर्ष 2024-25 हेतु थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2. एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस रूपया 1,50,000/-निर्धारित की जाती है। थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

3.12.5 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की स्वीकृति

(क) वर्ष 2024-25 हेतु थोक अनुज्ञापनों की स्वीकृति संगत नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में की जायेगी।

(ख) एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों पर वाइन की बिक्री भी अनुमन्य की जाती है।

(ग) एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों पर एल.ए.बी. की बिक्री भी अनुमन्य की जाती है।

गत वर्ष की भाँति आवेदक को वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। थोक अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने एवं इस संबंध में जमा की गयी धनराशियों की वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

3.12.6 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की लाइसेंस फीस और प्रतिभूति

(क) थोक अनुज्ञापनों की वर्ष 2024-25 की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	थोक अनुज्ञापन का प्रकार	जिला का नाम जहाँ स्वीकृत होगा।	वर्ष 2024-25 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (रुपये में)
1	सी.एल.-2	चित्रकूट, बागपत, शामली, कौशाम्बी, श्रावस्ती	10,00,000
2	सी.एल.-2	अमेठी, हाथरस, बलरामपुर	15,00,000
3	सी.एल.-2	अन्य जिला	28,00,000
4	एफ.एल.-2	वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अलीगढ, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा	36,00,000
5	एफ.एल.-2	गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ, देवरिया, कुशीनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद।	28,00,000
6	एफ.एल.-2	उपरोक्त जनपदो को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	20,00,000
7	एफ.एल.-2बी	कौशाम्बी, श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, एटा, हाथरस, कन्नौज, औरैया, रामपुर, संभल, शाहजहाँपुर एवं शामली।	7,00,000
8	एफ.एल.-2बी	सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, संत रविदासनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, संतकबीरनगर, अमेठी, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, बदायूँ, अमरोहा, बागपत, बांदा, जालौन, ललितपुर।	11,00,000
9	एफ.एल.-2बी	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	16,00,000

प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

(ख) मध्य सत्र में थोक अनुज्ञापनों की स्वीकृति के प्रकरणों में त्रैमासिक आधार पर लाइसेंस फीस ली जायेगी। जिस त्रैमास में अनुज्ञापन स्वीकृत किया जायेगा उस त्रैमास की भी फीस ली जायेगी।

3.12.7 सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ. एल.-2 बी अनुज्ञापनों से अन्य जिला की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीसः-

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये अन्य जिला के सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी अनुज्ञापी से आपूर्ति के संबंध में वर्ष 2020-21 में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2024-25 हेतु यथावत रखा जाता है।

3.13 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन

3.13.1 (क) ब्रांड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन/नवीनीकरण के संबंध में वर्ष 2023-24 में लागू व्यवस्था को वर्ष 2024-25 में यथावत रखा जाता है परन्तु वर्ष 2024-25 में किसी ब्राण्ड के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) यदि किसी मदिरा ब्राण्ड के लेबिल/एम.आर.पी. के अनुमोदन के दौरान अथवा बाद में आबकारी विभाग को यह प्रतीत होता है कि भविष्य में इसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है अथवा उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तब लेबिल/एम.आर.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(ग) यदि किसी आयातक इकाई द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा के 1200 नग एवं समुद्रपार आयातित बीयर के 1500 नग(प्रत्येक धारिता को सम्मिलित करते हुये) तक ही बिक्री करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब ब्राण्ड पंजीकरण की फीस रूपया 10,000/- प्रतिब्राण्ड होगी। इससे अधिक की बिक्री होने पर ब्राण्ड पंजीकरण की फीस प्रस्तर-3 13.2 की तालिका के अनुसार ली जायेगी। यह सुविधा मात्र प्रथम बार पंजीकृत कराये जाने वाले ब्राण्डों के लिये ही अनुमन्य होगी। इस श्रेणी में वर्ष 2023-24 में पंजीकृत ब्राण्डों का इसी श्रेणी में वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा यदि इकाई द्वारा उपरोक्त सीमा के अंतर्गत बिक्री की गयी हो।

3.13.2 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन फीस:-

(1) वर्ष 2024-25 हेतु ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

क्र.सं.		मदिरा का प्रकार	ब्राण्ड पंजीकरण फीस (रुपये में)	लेबुल अनुमोदन फीस (रुपये में)
1.		देशी मदिरा	1,00,000	1,00,000
2.		**भारत निर्मित मदिरा**		
	क	विदेशी मदिरा	1,25,000	1,25.000
	ख	बीयर	75,000	75,000
	ग	वाइन	10,000	10,000
	घ	एल.ए.बी.	20,000	20,000
3.		**अन्य देशों से आयातित मदिरा**		
	क	विदेशी मदिरा	1,50,000	लेबुल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
	ख	बीयर	75,000	
	ग	वाइन	10,000	
	घ	एल.ए.बी.	20,000	
4.		**अन्य देशों, प्रदेशों को निर्यातित मदिरा**		
	क	विदेशी मदिरा	ब्राण्ड पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है	6,00,000
	ख	बीयर		6,00,000
	ग	वाइन		1,00,000
	घ	एल.ए.बी.		6,00,000

ब्राण्ड एवं लेबुल के नवीनीकरण हेतु भी उपरोक्तानुसार फीस ली जाएगी।

(2) वर्ष 2023-24 में पंजीकृत ब्राण्डों के नवीनीकरण एवं एम.आर.पी. के अनुमोदन माह जुलाई, 2024 तक ही सामान्यतः कराये जा सकेंगे। माह जुलाई के पश्चात नवीनीकरण कराये जाने की स्थिति में दो गुना नवीनीकरण फीस ली जायेगी। ऐसे ब्राण्ड जिनका नवीनीकरण माह जुलाई 2024 तक नहीं कराया गया होगा, उनका नये ब्राण्ड के रूप में पंजीकरण वर्ष 2024-25 में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) सी.एस.डी. की आपूर्ति हेतु ब्राण्ड पंजीकरण तभी अनुमन्य होंगे जब इन ब्राण्डों का पंजीकरण और एम.आर.पी. का अनुमोदन सिविल आपूर्ति हेतु करा लिया गया हो।

(4)भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और एल.ए.बी. के ब्राण्डों के वैरियेंट की एम.आर.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

3.14 विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का आरोपण:-

विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की व्यवस्था गतवर्ष की भाँति वर्ष 2024-25 में निम्नवत् रखी जाती है:-

विदेशी मदिरा

क्र. सं.	विदेशी मदिरा की श्रेणी	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इकोनामी	180 एम.एल. तक	10/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	20/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	30/-
2	मीडियम	180 एम.एल. तक	10/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	20/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	30/-
3	रेगुलर	180 एम.एल. तक	20/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	30/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	50/-
4	प्रीमियम	180 एम.एल. तक	20/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	30/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	50/-
5	सुपर प्रीमियम	180 एम.एल. तक	30/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	50/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	100/-

6	स्काच	180 एम.एल. तक	50/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	100/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	150/-
7	समुद्रपार आयातित	200 एम.एल. तक	70/-
		200 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	140/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	200/-

बीयर

क्र. सं.	बीयर की श्रेणी	बोतलों/केनों की धारिता (एम.एल. में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	स्ट्रांग/लैगर	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
		10 लीटर केग	200/-
		20 लीटर केग	400/-
		20 लीटर से अधिक केग	600/-
2	समुद्र पार आयातित	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
		10 लीटर केग	200/-
		20 लीटर केग	400/-
		20 लीटर से अधिक केग	600/-

वाइन/एल.ए.बी.(भारत निर्मित एवं समुद्र पार आयातित)

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वाइन	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
2	एल.ए.बी.	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-

90 एम.एल. तक की धारिता हेतु विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की दरें

क्र .सं.	विदेशी मदिरा की श्रेणी	बोतलों की धारिता (एम.एल.में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क(रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रीमियम	90 एम.एल. तक	10/-

2	सुपर प्रीमियम	90 एम.एल. तक	20/-
3	स्काच	90 एम.एल. तक	30/-
4	समुद्रपार आयातित	90 एम.एल. तक	40/-

आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. इत्यादि के निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य के अतिरिक्त उपरोक्त विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क आरोपित होगा तथा तदनुसार अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

3.15 अन्य

3.15.1(1) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स से बिक्री का समयः-

वर्ष 2024-25 में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा/ बीयर, भांग दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं मॉडल शॉप की कार्यावधि प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक निर्धारित की जाती है।

(2) वर्ष 2024-25 हेतु एफ.एल.-16 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क रू.50,000/- तथा एफ.एल.-17 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क रू 25,000/- निर्धारित किया जाता है। नवीनीकरण की स्थिति में भी उपरोक्त दर से अनुज्ञापन शुल्क जमा कराया जाएगा।

(3) प्रदेश में विकृत सुरा अथवा विशेष विकृत सुरा की उपलब्धता न होने की स्थिति में ही इनके आयात की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी।

(4) आसवनियों द्वारा सी हैवी शीरे/बी हैवी शीरे /केन जूस/केन सीरप आदि से उत्पादित अल्कोहल के भण्डारण हेतु प्रयोग में लाये जा रहे टैंकों के आपस में परिवर्तन की अनुमति के लिये ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु रु.5,000/- प्रासेसिंग फीस ली जाएगी।

(5) एथेनाल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आयल मिक्सिंग डिपोज़ को एथेनाल की आपूर्ति के लिये परमिट प्राप्त करने हेतु आनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु रू. 5,000/- प्रासेसिंग फीस ली जाएगी।

(6) यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में यू.पी.एम.एल. की भराई हेतु बाटलिंग लाइन/लाइनों के निर्धारण का अधिकार आबकारी आयुक्त को दिया जाता है।

(7) देशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/टेट्रा पैक के लेबिल पर दायीं ओर शीर्ष पर 1 से.मी.X1 से.मी. पर स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में उसकी एम.आर.पी. अंकित की जाएगी।

(8) ई-लाटरी पोर्टल पर मोबाइल नं., पैन करेक्शन इत्यादि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रूपया 1,000/- निर्धारित की जाती है। यह व्यवस्था आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगी।

(9) बोतल में भरी भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के देश के बाहर निर्यात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रूपया 5,000/- निर्धारित की जाती है।

(10) बल्क स्प्रिट के आयात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रूपया 5,000/- निर्धारित की जाती है। बल्क स्प्रिट के निर्यात(राज्य के बाहर परन्तु देश के अंदर) की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रु.2000/- निर्धारित की जाती है।

(11) वैयक्तिक होम लाइसेंस के स्थानांतरण हेतु सुसंगत अभिलेखों सहित प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक जॉचोपरांत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे जिनके द्वारा आवश्यक जांच कराते हुये और संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों की संस्तुति के आलोक में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(12) इच्छुक फुटकर और थोक अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन के नामांतरण के संबंध में एक नामिनेशन शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता क्रम में अपने वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों का नाम, आधार नम्बर, संबंध आदि का उल्लेख किया जा सकता है। मृत्यु के प्रकरणों में सर्वप्रथम नामिनेशन शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त नामिनेशन नोटेराइज्ड शपथ पत्र पर लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसका प्रारूप **<u>संलग्नक-4</u>** है।

(13) यदि उ.प्र. में एम.आर.पी. अनुमोदित कराये जाने के बाद किसी निकटवर्ती राज्य में कम ई.डी.पी./ ई.बी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.सी.बी.वी. प्रस्तुत किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आता है तब संबंधित ब्राण्ड का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(14) यदि किसी नये ब्राण्ड-लेबिल के अनुमोदन की तिथि से एम.आर.पी. अनुमोदन हेतु 03 माह तक ई.डी.पी./ ई.बी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.सी.बी.वी. प्रस्तुत नहीं की जाती है तब ब्राण्ड-लेबिल का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा परन्तु उक्त प्राविधान में शिथिलता प्रदान करने का आबकारी आयुक्त को अधिकार होगा।

(15) डीनेचुरेशन फीस की दर वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 0.60/- प्रति लीटर निर्धारित की जाती है।

(16) भुगतान वापसी के प्रकरणों में कोषवाणी की वेबसाइट में प्रदर्शित सूचना के आधार पर चालानों का विभाग द्वारा किया गया सत्यापन पर्याप्त माना जायेगा। संबंधित कोषागार से चालानों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराये जाने की प्रक्रियागत अनिवार्यता नहीं होगी।

(17) अगले वर्ष के नवीनीकरण हेतु धनराशियों को जमा करने के पश्चात यदि किसी लाइसेंसी की मृत्यु हो जाती है और उसके किसी विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती द्वारा अनुज्ञापन के संचालन हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है अथवा किसी वारिस/नामनिर्देशिती को इस हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है तब नवीनीकरण हेतु जमा धनराशियों (प्रासेसिंग फीस को छोड़कर) विधिक वारिस को वापस कर दिया जायेगा।

(18) डी.एस.-1 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस रु. 1,00,000 निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि 10 प्रतिशत होगी। लाइसेंस फीस कोषागार शीर्षक 0039 में निर्धारित उपशीर्षक के अंतर्गत जमा की जायेगी।

(19) आयल मिक्सिंग डिपो के मामलों में ली जाने वाली लाइसेंस फीस रू.0.30/- प्रति लीटर के स्थान पर रू.0.50/- प्रति लीटर निर्धारित की जाती है।

(20) ग्रेन आधारित आसवनी/प्लांट की एथनाल एवं ई.एन.ए. उत्पादन के अनुपात का विनिश्चय ग्रेन आसवनी हेतु गठित समिति के स्थान पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग के स्तर से किया जायेगा।

(21) प्रदेश में स्थापित आसवनियों/यवासवनियों/द्राक्षासवनियों की प्रतिभूति केवल सावधि जमा रसीद के रूप में जमा की जायेगी।

(22) मदिरा/भांग की फुटकर दुकानों की वर्ष 2023-24 की चौहद्दी परिवर्तन किये बिना यदि उनके नाम परिवर्तन की आवश्यकता पायी जाती है तब इस स्थिति में जिला कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकान के नाम को परिवर्तित किया जा सकेगा। दुकानों की प्रास्थिति(जिससे नाम परिवर्तन हो) में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

(23) प्रदेश में मदिरा की आपूर्ति में कठिनाई के दृष्टिगत, यथावश्यकता आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश एवं देश के बाहर निर्यात की अनुमति के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया जा सकेगा।

(24) यवासवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस बी-20 की वैधता एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष होगी। यदि उक्त अवधि में यवासवनी स्थापित नहीं की जाती है और उक्त लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तब प्रत्येक वर्ष के लिये लाइसेंस फीस रूपया एक लाख पच्चीस हजार ली जायेगी।

(25) आसवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस पी.डी.-33 की वैधता दो वर्ष हेतु प्रदत्त है। यदि उक्त अवधि में आसवनी स्थापित नहीं की जाती है और उक्त लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तब प्रत्येक वर्ष के लिये लाइसेंस फीस रूपया दो लाख पचास हजार ली जायेगी।

(26) फुटकर एवं थोक अनुज्ञापनों पर विक्रेताओं के अनुमोदन हेतु रु.500/- जमा करने पर नौकरनामा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(27) फुटकर दुकानों एवं बार अनुज्ञापनों में मदिरा बिक्री की समयावधि, विशेष अवसरों पर, एक विनिश्चित अवधि तक, परिवर्तित करने का अधिकार, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग को दिया जाता है।

(28) त्रुटिपूर्ण कोषागार शीर्षक में जमा किये गये चालानों की धनराशि को सही शीर्षक में पोर्टल पर प्रविष्टि कराने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ रु.1000/- का प्रासेसिंग फीस के रूप में जमा किया गया चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(29) आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की प्रख्यापन की तिथि के पश्चात प्रथम बार वाइन की भराई करने वाली और प्रतिफल शुल्क में छूट हेतु अर्ह और प्रदेश में स्थापित द्राक्षासवनियों को एफ.एल.-1 अनुज्ञापन स्वीकृति की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसी द्राक्षासवनियों हेतु एफ.एल.-3 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस रु.50,000/- निर्धारित की जाती है।

(30) माडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेण्ड तथा बार अनुज्ञापनों को बी.आई.ओ.-1 अथवा बी.आई.ओ.-1ए से सीधे मदिरा क्रय किया जाना अनुमन्य होगा परन्तु ऐसी आपूर्ति के मामलों में थोक अनुज्ञापन का मार्जिन राजकोष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(31) प्रीमियम रिटेल वेण्ड पर विक्रय हेतु अनुमन्य एसेसरीज़ में टानिक वाटर और काकटेल मिक्सर्स सम्मिलित होंगे परन्तु ऐसे नान एल्कोहलिक पेय पदार्थ अनुमन्य नहीं होगें जिनके ब्राण्ड के नाम, पैकिंग, लेबिल आदि किसी मदिरा ब्राण्ड से मिलते जुलते हों और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो। विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। माडल शॉप पर भी उक्त एसेसरीज़ की बिक्री अनुमन्य होगी।

(32) प्रत्येक फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा रखना अनिवार्य होगा।

3.15.2 अवशेष स्टाक का निस्तारणः-

वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर जिलों के विभिन्न जिला स्तरीय थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों पर दिनांक 31.03.2024 को बिक्री अवधि के पश्चात अवशेष स्टाक की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा अनुज्ञापी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.04.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक रु.100/- के नॉनजुडीशियल नोटराइज़्ड स्टाम्प पेपर पर की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि तक आयुक्तालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार घोषित अवशेष स्टाक का निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। घोषित अवशेष स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर घोषित स्टाक से 1 प्रतिशत से अधिक का विचलन (जिसकी अधिकतम सीमा 1 पेटी होगी) पाये जाने पर एवं अवशेष स्टाक के निस्तारण में कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मदिरा के अवशेष स्टाक का स्टाक रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा जिसका निरीक्षण/अनुश्रवण उसके द्वारा प्रस्तुत इण्डेण्ट और अनुज्ञापी द्वारा किये गये उपभोग के आंकड़ों का मिलान करते हुये आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त अवशेष स्टाक को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2024 को उपर्युक्त अनुज्ञापनों की संचालन अवधि के पश्चात इन पर उपलब्ध अवशेष मदिरा के स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया लागू होगीः-

3.15.2.1 देशी मदिराः-

1. (क)देशी मदिरा की नवीनीकृत फुटकर दुकानों पर दिनांक 01.04.2024 को उपलब्ध अवशेष देशी मदिरा स्टाक को दिनांक 05.04.2024 तक बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है तत्पश्चात अवशेष स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा। ऐसे अवशेष स्टाक को माह अप्रैल, 2024 के एम.जी.क्यू. में समायोजित नहीं किया जायेगा।

(ख) देशी मदिरा की अनवीनीकृत फुटकर दुकानों पर उपलब्ध अवशेष स्टाक को जनपद के थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसकी नीलामी आबकारी आयुक्त की अनुमति से

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा, प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की उपस्थिति में कराया जायेगा। उक्त नीलामी में प्रदेश की पेय मदिरा आसवनियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। इस प्रकार प्राप्त मदिरा का आसवनियों द्वारा नियमानुसार पुर्नआसवन करना अनिवार्य होगा तथा इससे पूर्व स्टाक पर लगे बारकोड व क्यू0आर0कोड को उचाड़कर सुरक्षित रखा जायेगा। इस हेतु गठित समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उचाडे गये बारकोड व क्यू0आर0कोड को समिति के समक्ष नष्ट किया जायेगा। पुर्नआसवित स्प्रिट का लेखा अलग से संरक्षित किया जायेगा तथा पेय मदिरा के निर्माण में इसका उपयोग किये जाने से पूर्व इसका परीक्षण केन्द्रीय प्रयोगशाला से कराया जाना अनिवार्य होगा। नीलामी से प्राप्त धनराशि को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद के कोषागार में लेखा शीर्षक 8443 प्रतिभूति व अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत जमा किया जायेगा तथा जमा की गयी धनराशि को तत्पश्चात समानुपातिक रूप से संबंधित अनुज्ञापियों को वितरित किया जायेगा। अवशेष देशी मदिरा की नीलामी हेतु इच्छुक आसवक उपलब्ध न होने पर अनुज्ञापियों को कोई मूल्य देय नहीं होगा तथा अवशिष्ट देशी मदिरा को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

2. वर्ष 2023-24 में व्यवस्थित देशी मदिरा के नवीनीकृत/अनवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों सी.एल.-2, पर उपलब्ध क्यू.आर.कोड युक्त अवशेष स्टाक को वर्ष 2024-25 हेतु व्यवस्थित जिला के किसी अन्य थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसकी नीलामी वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के अनुसार की जायेगी।

3. देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में उपलब्ध देशी मदिरा के ऐसे अवशेष स्टाक जिस पर बार कोड एवं क्यू.आर. कोड लगे हैं, ब्राण्ड-लेबिल वर्ष 2024-25 हेतु पंजीकृत हो तथा वर्ष 2023-24 का निर्धारित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देय शुल्क आदि जमा नहीं हुआ है और जिसकी शेल्फ लाइफ दिनांक 30.04.2024 तक हो, पर वर्ष 2024-25 के इस हेतु निर्गत क्यू.आर. कोड चस्पा करते हुये वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क तथा अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देय शुल्क के योग की धनराशि जमा कराकर और नयी एम.आर.पी. का स्टिकर चस्पा कर इसकी बिक्री अनुमन्य होगी। इससे कम अवधि की शेल्फ लाइफ वाले देशी मदिरा के अवशेष स्टाक का पुनर्आसवन किया जायेगा।

3.15.2.2 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी.:-

1. (क) विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स, प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स, बार, क्लब एवं समस्त जिला स्तरीय थोक और बाण्ड अनुज्ञापनों एवं एफ.एल-1/एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों और बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों जिनका वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण नहीं हुआ है, पर उपलब्ध अवशेष स्टाक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

(ख) विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स, प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स, बार, क्लब एवं समस्त जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों और बाण्ड अनुज्ञापनों, एफ.एल-1/एफ.एल.-

1ए अनुज्ञापनों और बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों जिनका वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण हुआ है पर वर्ष 2022-23 के पूर्व निर्मित समस्त उपलब्ध अवशेष स्टाक को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

2. उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकृत विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स एवं मॉडल शॉप, जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों सहित बार/क्लब अनुज्ञापनों पर उपलब्ध अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती है:-

(1) वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पश्चात् अवशेष जिन ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2024-25 हेतु होगा उन ब्राण्डों पर यदि वर्ष 2024-25 में कुल प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 31.03 2025 तक किया जायेगा।

(2) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2024-25 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर यदि कुल प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. में वृद्धि होती है तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 31.03.2025 तक किया जायेगा।

(3) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2024-25 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. उनकी वर्ष 2023-24 के लिये घोषित ई.डी.पी./ ई.बी.पी./ ई.सी.बी.वी. पर वर्ष 2024-25 के सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी तथा अवशेष स्टाक का निस्तारण दिनांक 31.03.2025 तक निम्नवत् किया जायेगा:-

(i) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस, का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. की धनराशि में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(ii) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. दोनों में वृद्धि होती है तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(iii) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में कमी होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि होती है, तब वर्ष 2023-24 की एम.आर.पी. पर ही बिक्री की जायेगी।

(iv) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि नहीं होती है, तब कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर तथा अंतर की धनराशि के समतुल्य एम.आर.पी. में वृद्धि करके उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. का स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(v) यदि उक्त उप प्रस्तर-(3) से संबंधित ब्राण्ड कालांतर में पंजीकृत एवं एम.आर.पी. का अनुमोदन करा लिया जाता है तब इस प्रकार अनुमोदित नवीन एम.आर.पी. और उप प्रस्तर-(3)(i), (3)(ii), (3)(iii) एवं (3)(iv) से आच्छादित एवं आगणित एम.आर.पी. (यदि अधिक हो) के अंतर को जमा कराते हुये नवीन एम.आर.पी. पर विक्रय की अनुमति दिनांक 31.03.2025 तक होगी।

(4) कुल प्रतिफल शुल्क के आगणन हेतु प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सम्मिलित किया जायेगा।

3.15.3 (क) विदेशी मदिरा/बीयर उत्पादक आसवनियों/यवासवनियों के एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए, एफ.एल.-3 एवं एफ.एल.-3ए और बाण्ड अनुज्ञापनों सहित बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों के अवशेष स्टाक का निस्तारण ब्राण्ड-लेबिल पंजीकरण करा लिये जाने के पश्चात ही उपर्युक्तानुसार किया जायेगा।

(ख) एफ.एल.-2ए, एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों पर भी प्रस्तर-3.15.2.2 के प्राविधान लागू होंगें।

3.15.4 अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में उपरिवर्णित स्थितियों के अतिरिक्त उत्पन्न अन्य प्रकरणों में निर्णय हेतु आबकारी आयुक्त को प्राधिकृत किया जाता है।

<u>3.16 ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस:-</u>

(1) (क) प्रदेश की आसवनियों/यवासवनियों/बाण्ड अनुज्ञापनों/ एफ.एल.-1/1ए/ को आबकारी नीति 2024-25 की घोषणा की तिथि से दिनांक 31.07.2024 तक की अवधि हेतु मदिरा/बीयर आदि के अग्रिम भण्डारण हेतु यथावश्यकता अतिरिक्त अस्थाई गोदाम परिसर रूपया 1,00,000/-(एक लाख मात्र) के भुगतान पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(ख) अनुज्ञापियों को दुकान आवंटन/नवीनीकरण के संबंध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों पर जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गुणदोष के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

(ग) रूपया 3,000/- से अधिक एम.आर.पी.(प्रति बोतल) वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच एवं सिंगल माल्ट ब्राण्डों की प्रदेश में बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु बी.डब्लू.एफ.एल.-2एए लाइसेंस भी प्रदान किये जायेंगे। यह लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों को दिये जायेंगे जिनके पास संबंधित उत्पादकों के प्राधिकार पत्र होंगे। बी.डब्लू.एफ.एल.-2एए लाइसेंस की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए की लाइसेंस फीस की 60 प्रतिशत के बराबर होगी। प्रतिबंध यह होगा कि उक्त अनुज्ञापन में सभी वैरियेंट्स सहित अधिकतम कुल 10 ब्राण्डों की बिक्री ही अनुमन्य होगी।

(घ) यदि बार अनुज्ञापन हेतु आवेदन करने वाली किसी कम्पनी अथवा फर्म में प्रबंध निदेशक, निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कोई चिकित्सक सम्मिलित है तब वह आवेदक कम्पनी अथवा फर्म बार अनुज्ञापन हेतु अनर्ह नहीं होगी।

(ङ) जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों हेतु अस्थाई रूप से प्रत्येक 02 माह हेतु अतिरिक्त परिसर की स्वीकृति रु. 10,000/- के शुल्क के साथ अनुमन्य होगी जिसकी स्वीकृति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के पश्चात प्रदान की जायेगी। इस सुविधा

हेतु फुटकर अनुज्ञापनों को प्रत्येक 02 माह हेतु रु. 2000/- देना होगा जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी के पूर्वानुमोदन के पश्चात जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

(च) रात्रि में और अपने परिवहन पास की वैधता अवधि में जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों पर पहुँच गये पारेषणों को हर प्रकार से ठीक पाये जाने की दशा में संबंधित परिवहन पासों की वैधता बढ़ाये जाने का अधिकार जिला आबकारी अधिकारी को होगा। इस हेतु पोर्टल पर आवश्यक सुधार किये जायेंगे। परन्तु यह वैधता उस दिवस को 12:00 बजे मध्यान्ह तक ही बढ़ायी जायेगी।

(2) फुटकर दुकानों में परस्पर मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित मासिक/त्रैमासिक राजस्व का अंतरण:-

उक्त के संबंध में वर्ष 2023-24 की व्यवस्था को वर्ष 2024-25 में यथावत् रखा जाता है।

(3) वर्ष 2021-22 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित स्काच श्रेणी की विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रु.2,000/- अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन को ही एक सील्ड पेटी अवधारित करते हुये बोतल एवं सील्ड पेटियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य की गयी है। उक्त व्यवस्था को वर्ष 2024-25 में यथावत रखा जाता है।

(4) मदिरा के परिवहन पासों का ऑनलाइन सत्यापन मदिरा प्राप्ति साक्ष्य के रूप में पर्याप्त माना जाएगा। पासों का मैनुअल पद्धति से सत्यापन एवं वापसी की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

(5) वर्तमान में प्रदेश में अवस्थित समस्त उत्पादन इकाइयों पर मदिरा/अल्कोहल की तीव्रता की माप पुरानी प्रचलन विधि हाइड्रोमीटर द्वारा की जा रही है। मदिरा/अल्कोहल की तीव्रता की माप में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाना समय की मांग है। उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग की प्रयोगशालाओं में तथा आसवनियों में एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित/ मानकीकृत डिजिटल अल्कोहल मीटर का प्रयोग अनिवार्य किया जाता है।

(6) बाण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों आदि से एक वाहन के माध्यम से किसी एक जिले के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के पारेषण अनुमन्य किये जायेंगे। मदिरा के पारेषणों से संबंधित वाहनों का अधिकतम पे-लोड परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम पे-लोड के अनुसार होगा।

(7) बाण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों/चीनी मिलों आदि हेतु विहित पंजिकाओं में भरी जाने वाली सूचनायें विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं जिनको पुनः विभागीय पंजिकाओं में मैनुअली भरे जाने में संसाधन एवं समय का अपव्यय होता है अतः विहित पंजिकाओं को आनलाइन भरे जाने की व्यवस्था की जाती है।

(8) वर्ष 2024-25 की आपूर्ति हेतु उत्पादन प्रारम्भ किये जाने एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2023-24 हेतु आपूर्ति से संबंधित इण्डेण्टों को लगाने की कट-आफ तिथि एवं वर्ष 2024-25 का उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(9) पुलिस अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी फुटकर मदिरा/भांग दुकान अथवा थोक अनुज्ञापन का संचालन बिना लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बंद नहीं किया जायेगा अथवा उसे सील नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारी अथवा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञापित परिसर का निरीक्षण बिना लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारी और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों को छोड़कर प्रत्येक निरीक्षण कार्यवाही की अनिवार्यत: वीडियोग्राफी करायी जायेगी।

(10) विदेशी मदिरा उत्पादक आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाना और ब्राण्ड की टेस्टिंग कराया जाना अनुमन्य होगा। इस हेतु रु.50,000/- आसवनी से, रु 25,000/- यवासवनियों से शुल्क लिया जायेगा। द्राक्षासवनियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(11) किसी आसवनी में अधिष्ठापित क्षमता का संपूर्ण उपभोग हो जाने के पश्चात विशेष परिस्थितियों में बल्क स्प्रिट क्रय करके अधिष्ठापित क्षमता से अधिक मदिरा निर्माण की अनुमति आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रख्यापन की तिथि से इस प्रतिबंध के साथ आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी कि अधिष्ठापित क्षमता से अधिक निर्मित मदिरा पर दोगुनी दर से लाइसेंस फीस देय होगी। यह सुविधा आसवनी को अपनी क्षमता विस्तार/नवीन इकाई की स्थापना आदि का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है और यह सुविधा एक बार ही प्रदान की जायेगी।

3.17 ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली:-

सम्प्रति उत्पादन से लेकर फुटकर दुकानों तक मदिरा की आपूर्ति ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है। फुटकर दुकानों से बिक्री को पी.ओ.एस. मशीन से स्कैन कराकर बिक्री कराये जाने तथा विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड कर इन्टीग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमैंट सिस्टम (IESCMS) के लिये सेवा प्रदाता का चयन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की समस्त फुटकर दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस.(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने की व्यवस्था लागू की जाती है।

3.18 नशे के दुष्प्रभावों एवं रिस्पांसिबिल ड्रिंकिंग के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु बजट का प्राविधान

नशे के दुष्प्रभावों एवं संयमित मदिरा सेवन (Responsible Drinking) के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने एवं जागरूकता लाये जाने हेतु विशेष प्रचार अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से (1) Under Age Drinking (2) Drunken Driving (3) Responsible Consumption पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

इस हेतु प्रभावी अभियान चलाये जाने एवं विभिन्न IEC गतिविधियों हेतु 1 करोड़ रूपये का प्राविधान किया जाता है।

3.19 विभाग का सुदृढीकरण:-

उल्लेखनीय है कि राज्य आबकारी द्वारा संग्रहीत किये गये राजस्व पर किये गये व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त औसत से अत्यधिक कम है। यह व्यय प्रतिशत प्रदेश के अन्य राजस्व प्राप्तकर्ता विभागों की तुलना में भी कम है। वर्ष 2021-22 में यह व्यय 1 प्रतिशत से भी कम था तथा 2023-24 में भी 1 प्रतिशत से कम रहने की संभावनायें हैं। अतः राजस्व वर्धन हेतु विभाग को और अधिक संसाधन सुदृढ बनाए जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाएगी:-

(i) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(ii) मदिरा की समस्त फुटकर दुकानों पर सी.सी.टी.वी. लगाया जायेगा। सी.सी.टी.वी. बंद पाये जाने पर जुर्माने का प्राविधान किया जायेगा।

(iii) विभाग की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में यथोचित तकनीकी योग्यता रखने वाले विश्लेषकों की यथावश्यकता राज्य सरकार की अनुमति से संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।

(iv) विभाग की प्रयोगशालाओं, आसवनियों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित/मानकीकृत डिजिटल अल्कोहल मीटर का प्रयोग अनिवार्य किया जायेगा।

(v) आसवनियों में देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लांटों में मास फ्लो मीटर, राडार आधारित लेवल ट्रांसमीटर एवं बाटल काउण्टर पूर्व में निर्धारित मानक के अनुसार लगाये जाने हेतु समय सीमा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(vi) डाटा के संकलन, संरक्षण एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित कार्यों हेतु एक डेटा एनेलिटिक्स फर्म को आबद्ध किया जायेगा।

(vii) सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त 65 वर्ष तक की आयु के अनुभवी 03 कार्मिकों को एक मुश्त मासिक मानदेय पर कंसल्टेंट के रूप में रखा जायेगा। यह धनराशि अंतिम आहरित वेतन मे से शुद्ध पेंशन(बिना राशिकरण के) की धनराशि घटाने के बाद प्रतिमाह होगी। इनकी नियुक्ति शासन से अनुमति प्राप्त कर की जायेगी।

(viii) पोर्टेबल स्कैनर्स जो बंद वाहनों की त्वरित तलाशी/स्कैनिंग हेतु उपयुक्त हों का क्रय किया जायेगा।

3.20 वर्ष 2024-25 के लिये अनुमानित राजस्व:-

क्र.सं.	मद	वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति में अंकित अनुमानित राजस्व (करोड़ रु.में)	वर्ष 2023-24 में अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.में)	वर्ष 2024-25 में संभावित राजस्व वृद्धि (करोड़ रु.में)	वर्ष 2024-25 में कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु. में) (कालम 4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	**देशी मदिरा**- प्रतिफल फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाँ	22000	23600	2400	26000

2.	**विदेशी मदिरा**- प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	13850	14000	1400	15400
3	**बीयर**- प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	5550	6200	150	6350
4.	**अन्य मद**- शीरे पर विनियामक शुल्क, आसवनी, ब्रिवरी की लाइसेंस फीस, आयात- निर्यात फीस, फार्मेसियों से प्राप्तियां एवं भांग की बिड़मनी इत्यादि	3800	2200	50	2250
	योग	45000	46000	4000	50000

3.21 <u>वर्ष के मध्य में आबकारी नीति में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में:-</u>

आबकारी नीति की मा. मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन किये जाने पर यदाकदा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होतीं है। इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए गत वर्ष की भॉति वर्ष 2024-25 हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है:-

"आबकारी नीति की मा. मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन व राजस्व प्राप्ति में यदाकदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान निवारण एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आबकारी नीति में सामयिक, व्यवहारिक, विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त, संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव, न्याय विभाग सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग समिति के सदस्य, संयोजक हैं, को अधिकृत किया जाता है तथा समिति की संस्तुति पर मा. आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।"

3.22 आबकारी नीति के क्रियान्वयन में संभावित जोखिम व आवश्यकतायें:-

(1) इस बात की आशंका रहती है कि कतिपय दुकानें (लगभग 5-10 प्रतिशत) निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस पर व्यवस्थित न हो पायें। ऐसी दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस में युक्ति-युक्त पूर्वक कमी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। नये अनुज्ञापियों को दुकान आवंटित होने की स्थिति में पिछले कई वर्षों से दुकानों को संचालित करने वाले अनुज्ञापियों द्वारा दुकानों के परिसर खाली करने में कठिनाइयां उत्पन्न की जा सकती हैं। अतः नवचयनित अनुज्ञापियों को इस संबंध में प्रशासन स्तर से सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(2) राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये तस्करी एवं अभिकर की चोरी रोकने के लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाना आवश्यक होगा तथा इस संबंध में पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग एवं विभाग का सुदृढ़ीकरण अपेक्षित होगा।"

4. कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन नियमों, अधिसूचनाओं आदि में संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम, नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन, विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उनका यथा प्रक्रिया समायन्तर्गत प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें। यदि किन्हीं नियमों, अधिसूचनाओं आदि का संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी) में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रतर कार्यवाही समय से की जा सके। साथ ही उक्तानुसार वांछित संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराये जाने हेतु कृपया अपने स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी कर लें ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

<u>**संलग्नक-यथोक्त।**</u>

भवदीय

21.12.23

(दिव्य प्रकाश गिरि)

विशेष सचिव

संलग्नक-1

क्र. सं.	देशी मदिरा/ यू.पी.एम.एल. के मूल्य निर्धारण के मद	यू.पी.एम.एल. (मसाला) 42.8 प्रतिशत वी./वी. 200 एम.एल.	यू.पी.एम.एल. (मसाला) 36 प्रतिशत वी./वी. 200 एम.एल.	देशी मदिरा (मसाला) 36 प्रतिशत वी./वी. 200 एम.एल.	देशी मदिरा (सुवासित) 25 प्रतिशत वी./वी. 200 एम.एल	प्रति लीटर दर (36 प्रतिशत वी/वी) (रु.)
	ई.डी.पी.	9.62	8.72	6.60	5.47	[redacted]
	प्रतिफल फीस	60.40	50.80	50.80	35.28	254.00
	थोक विक्रेता का मार्जिन	1.00	0.84	0.84	0.58	4.20
	अनन्तिम अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	71.02	60.36	58.24	41.33	[redacted]
	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	13.55	11.40	11.40	7.92	57.00
	अनन्तिम फुटकर विक्रय मूल्य	84.57	71.76	69.64	49.25	[redacted]
	निर्धारित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (रु. 5 के अगले गुणक में)	85	75	70	50	[redacted]
	अतिरिक्त प्रतिफल फीस	0.43	3.24	0.36	0.75	[redacted]
	कुल प्राप्त प्रतिफल फीस	60.83	54.04	51.16	36.03	[redacted]
	वास्तविक अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	71.45	63 60	58.60	42.08	[redacted]

संलग्नक-2

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप/ की फुटकर दुकानों के वर्ष 2024-25 के लिए नवीनीकरण हेतु

शपथ-पत्र का प्रारूप

(रूपये 10/- के नानजुडीशियल नोटेराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा)

1- यह कि शपथकर्ता-- पुत्र/पुत्री/पत्नी ---------------------------------- निवासी -- दुकान-देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/ माडल शाप/ ----------------- --------------, शाप आई0डी0 ------------- जनपद-- का वर्ष 2023-24 हेतु अनुज्ञापी है।

2- उक्त दुकान के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।

3- यह कि शपथकर्ता अपनी उपरोक्त दुकान का वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपनी उक्त दुकान को वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा/नवीन प्रस्तावित चौहद्दी निर्धारित अवस्थिति में है।

4- यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

5- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान की अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।

6- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान की वर्ष 2023-24 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।

7- यह कि शपथकर्ता वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2024 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गंभीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।

8- यह कि शपथकर्ता शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों के अनुसार माह मार्च 2024 तक की अवधि हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/कुल राजस्व के समतुल्य निकासी लेगा।

9- यह कि शपथकर्ता अवगत है कि माह मार्च 2024 तक की अवधि हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/कुल राजस्व के समतुल्य निकासी न लेने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2023-24 की प्रतिभूति धनराशि का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2024-25 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2023-24 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।

10- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एव संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2024-25 को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा। वह वर्ष 2023-24 की शेष अवधि में तथा वर्ष 2024-25 में फुटकर दुकान के व्यवस्थापन की संगत नियमावली का पालन करेगा और नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

11- यह कि शपथकर्ता ने वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस/एम0जी0क्यू0/बे0ला0फी0/ लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि/त्रैमासिक कुल प्रतिफल शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त कर ली है तथा वह उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।

12- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटिरहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हों, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

उपरोक्त क्रमांक-1 से 12 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता----------------

संलग्नक-3

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के थोक अनुज्ञापन-सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी के वर्ष 2024-25 के लिए नवीनीकरण हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप

(रूपये 10/- के नानजुडीशियल नोटराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा)

1- यह कि शपथकर्ता-------------------------------------- पुत्र/पुत्री/पत्नी ---------------------------------- निवासी -- थोक अनुज्ञापन- सी0एल0-2/एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी ------------------------------,अनुज्ञापन संख्या -------------- जनपद-- का वर्ष 2023-24 हेतु अनुज्ञापी है।

2- उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।

3- यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपने उक्त अनुज्ञापन को वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा।

4- यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

5- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन की अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।

6- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन की वर्ष 2023-24 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।

7- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन के विरूद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2023-24 में नहीं पायी गयी है।

8- यह कि शपथकर्ता अवगत है कि अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2022-23 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2024-25 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। उपरोक्तानुसार जब्त की गयी प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।

9- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2024-25 को भली भाँति समझ लिया है जिसका वह पालन करेगा। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा।

10- यह कि शपथकर्ता ने वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर ली है तथा वह उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।

11- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटि रहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हो, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

उपरोक्त क्रमांक-1 से 11 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता ------------------------------

संलग्नक-4

आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रस्तर-3.15.1(12) के अनुसार इच्छुक फुटकर और थोक अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नामिनेशन शपथ पत्र।

(प्रत्येक लाइसेंस हेतु पृथक-पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा)

समक्ष..

1-यह कि शपथ कर्ता/कर्ती.. पुत्र/पुत्री/पत्नी.................................. निवासी..जनपद...मोबाइल नं.. आधार नं....................... ....पैन नं... वर्ष 2024-25 हेतु निम्नांकित फुटकर दुकान/थोक अनुज्ञापन का/की अनुज्ञापी/अनुज्ञापिनी हैः-

1. दुकान का नाम और प्रकार...शाप आई.डी......................................
2. थोक अनुज्ञापन का नाम...लाइसेंस संख्या........................
3. जनपद का नाम.. ....

2-यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अपने उक्त अनुज्ञापन में नये अनुज्ञापी का नाम अंकित किये जाने हेतु आबकारी नीति 2024-25 के प्रस्तर-3 15.1(12) में यथा प्राविधानित नामिनेशन शपथ पत्र प्रस्तुत करने का/की इच्छुक है।

3-यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती स्वयं की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अपने उक्त अनुज्ञापन में नये अनुज्ञापी का नाम अंकित किये जाने हेतु निम्नांकित व्यक्तियों जो मेरे वारिस/परिवार के सदस्य/निकट संबंधी हैं, को वरीयता क्रम में नामनिर्देशित करता/करती हैः-

क्र.सं.-	नामित व्यक्ति का नाम व विवरण(पिता/पति/पत्नी के नाम सहित पता, आधार नं., मोबाइल न. आदि)	शपथकर्ता/शपथकर्ती से संबंध

4-यह उपर्युक्त नामनिर्देशितीकरण शपथकर्ता/शपथकर्ती अपने पूरे होशोहवास में प्रस्तुत कर रहा/रही है।

5-यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती द्वारा क्रमांक-1 से 4 तक प्रस्तुत की गयी उपरोक्त सूचना उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता ----------------------------------